अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
वर्ष-39, अंक-17, 16-30 अप्रैल, 2016

देशव्यापी आन्दोलन का प्रस्थान बिन्दु : चम्पारण

(17 अप्रैल 2016 को चम्पारण सत्याग्रह की शताब्दी का आरम्भ हो रहा है। उसी अवसर पर प्रस्तुत है यह आलेख)

17 अप्रैल को महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये नील विरोधी चम्पारण सत्याग्रह की शताब्दी प्रारम्भ हुई है। 17 अप्रैल 2016 को चम्पारण सत्याग्रह के सौ वर्ष पूरे होंगे।

17 अप्रैल को गांधीजी को मजिस्ट्रेट ने समन्स भेजा कि कल आप पर केस दाखिल की जायेगी। आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। समन्स का स्वीकार कर गांधीजी ने सत्याग्रह का बिगूल फूँका। 17 अप्रैल अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रारम्भ बिन्दु बना।

गांधीजी चम्पारण में नील की खेती करनेवाले किसानों के दुःख-दर्द समझने के लिए आये थे। सत्याग्रही के नाते उन्होंने कमिश्नर को सूचना देना अपना कर्तव्य माना। वे चम्पारण जा रहे हैं, यह बताने के लिए जब वे कमिश्नर से मिले तब कमिश्नर ने उन्हें चम्पारण जाने से मना कर दिया। फिर भी गांधीजी चम्पारण गये। जब वे चम्पारण पहुँचे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें नोटिस दी। नोटिस में कहा गया था कि गांधीजी के वहाँ आने से वहाँ सार्वजनिक शांति भंग होगी। दंगे व प्राणहानि होने की सम्भावना है। इसलिए उन्हें जिला छोड़कर तुरन्त चले जाना होगा। गांधीजी ने चले जाने से मना कर दिया। दूसरे दिन उन्हें समन्स मिला और तीसरे दिन वे कोर्ट में हाजिर हुए।

समन्स के बारे में गांधीजी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, ''चम्पारण का यह दिन मेरे जीवन में कभी न भूलने जैसा था। मेरे लिए और किसानों के लिए यह एक उत्सव का दिन था। सरकारी कानून के अनुसार मुझ पर मुकदमा चलाया जानेवाला था। पर सच पूछा जाय तो मुकदमा सरकार के विरूद्ध था। कमिश्नर ने मेरे विरूद्ध जो जाल बिछाया था, उसमें उसने सरकार को ही फँसा दिया।''

चम्पारण की सही समस्या लोगों का भय व अज्ञान था। गांधीजी द्वारा आन्दोलन का नेतृत्व स्वीकारने से लोगों के मन का भय दूर हुआ। उन्हें डरा देने की ताकत गोरे कोठीवालों में नहीं, सरकार में नहीं, यह लोगों ने जाना। जैसे-जैसे लोगों का भय दूर होता गया, वैसे-वैसे उन्हें अपने सामर्थ्य का बोध होने लगा। उनका मनोधैर्य बढ़ा। आचार्य कृपालानी लिखते हैं, ''यह आन्दोलन शुद्ध रूप से आर्थिक था। लेकिन गांधीजी ने कभी भी अर्थशास्त्र को राजनीति व सामाजिक सुधार से अलग किया नहीं। चम्पारण और सामान्यतः बिहार की जनता के आत्मसम्मान की उपलब्धि राजनीतिक मूल्यों से भी महान थी।''

चम्पारण सत्याग्रह भारत की आजादी आन्दोलन का अहिंसात्मक शुभारम्भ था।

गांधीजी दो दिन के लिए चम्पारण आये थे। लेकिन 175 दिन वे चम्पारण में रहे। गांधीजी की उम्र तब 48 वर्ष थी। राजेन्द्रबाबू आदि उनके सहयोगी उनसे भी कम उम्र के थे।

चम्पारण सत्याग्रह को जानने के लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद लिखित 'चम्पारण में महात्मा गांधी' व 'बापू के कदमों में' तथा 'महात्मा गांधी की आत्मकथा' जरूर पढ़ें।

–जयंत दिवाण

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक

वर्ष : 39, अंक : 17, 16-30 अप्रैल, 2016

संपादक
बिमल कुमार
मो. : 9235772595

कार्यकारी संपादक
डॉ.योगेन्द्र यादव

संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ, साधना केन्द्र
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

मूल्य	:	पांच रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310
IFSC No. UBIN-0538353
Union Bank of India

विज्ञापन दर
पूरा पृष्ठ : 2000 रुपये
आधा पृष्ठ : 1000 रुपये
चौथाई पृष्ठ : 500 रुपये

इस अंक में...

1. संपादकीय... 2
2. गांधीजी और नयी पीढ़ी 3
3. गाँवों पर शहर की विलासिता का... 5
4. साम्प्रदायिकता की अनदेखी 6
5. "क्यों दोहरे हो गये–हमारे मापदण्ड" 9
6. सूखा अप इंडिया 10
7. बुद्धिमान व्यक्ति का आहार मांसाहार... 11
8. जयप्रभा अस्पताल की वापसी... 12
9. सिंगरौली क्षेत्र में प्रदूषण 14
10. अदरक एवं उसके औषधीय गुण 15
11. सब्सीडी का हमारा पैसा.... 18
12. ओ विज्ञानी 20

सम्पादकीय

आपातकाल की स्थिति से गुजरता राष्ट्र

विगत दो वर्षों में देश में कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने एक बार फिर देश के बुद्धिजीवियों को सोचने को मजबूर कर दिया। एक ऐसा भय व्याप्त करने की कोशिश लगातार की जा रही है कि यदि आप हमसे जुदा बोलोगे, लिखोगे, कुछ करने की कोशिश करोगे, तो तुमसे तुम्हारी जिन्दगी छीन ली जायेगी या प्रशासनिक अमले द्वारा इतना प्रताड़ित करवा दिया जायेगा कि तुम खुद-ब-खुद मौत को गले लगा लोगे। इसके अलावा साम्प्रदायिक आधार पर देश को कई खानों में बाँट दिया गया है। अब हर कोई एक इंसान के रूप में नहीं, एक राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि अपने-अपने सम्प्रदाय के रूप में जी रहा है। देश की नामचीन शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक माहौल को समाप्त करके वहाँ के छात्रों के मन में उन्माद पैदा किया जा रहा है। इसी कारण हैदराबाद के शोध छात्र रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती है और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल खराब हो जाता है। देशभक्ति की जो अव्यवहारिक परिभाषा गढ़ी जा रही है, वह अधिकांश नागरिकों को हजम नहीं हो रही है। किन्तु जान और शांति सभी को प्यारी है। इसलिए कोई उलझना नहीं चाहता। किन्तु जैसे ही उसे अभिव्यक्ति का मौका मिलता है, वह अपने विचार प्रकट करता है, वह इतना भयभीत होता है कि अपने विचार प्रकट करते हुए उसकी आँखें इधर-उधर चकरघिन्नी की तरह घूमती रहती हैं, वह इतना धीरे बोलता है, जिससे की कोई सुन न ले। इस भय के वातावरण ने देश के नागरिकों को हिला कर रख दिया है। सभी को यह एहसास हो गया है कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। उनकी इस प्रवृत्ति का विरोध करने का साहस भी कुछ बुद्धिजीवियों ने किया। जनमानस जागृत हो, इसके लिए अपने कार्यों की एवज में मिले सम्मान एवं राशियाँ तक लौटा दीं। लेकिन फिर भी इन लोगों पर जूँ तक नहीं रेंगी। लोग अहिंसक आन्दोलन के लिए नहीं खड़े हुए। वे अपने तयशुदा कार्यक्रम को लगातार चला रहे हैं।

यह स्थिति आपातकाल जैसी महसूस हो रही है, देश एक बार इस दंश को भोग चुका है। आपातकाल के विरुद्ध जिन लोगों ने लोहा लिया था, उनमें से जो लोग जिन्दा हैं, वे आज एक बार फिर लोकनायक जयप्रकाश को याद करते हुए शून्य में निहारते हैं, जैसे मन ही मन आह्वान कर रहे हों, एक बार फिर जन्म लेकर या किसी के शरीर में अपने विचारों का आलोड़न करने, इस देश में व्याप्त हो रहे भय के वातावरण से निजात दिलायें। इधर कुछ गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के नाम पर काम करने और जीवनयापन करनेवाले लोग आगे आये हैं। उन्होंने धरना-प्रदर्शन के माध्यम से भगवान् उन्हें सद्बुद्धि दे, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। इन अघोषित आपातकाल के खिलाफ जनमानस को तैयार कर रहे हैं, किन्तु रोटी और रोजी में उलझा आज का जनमानस विरोध का सत्साह नहीं जुटा पा रहा है। किन्तु उसके मन में आक्रोश तो है कि जिस दिन वह इतनी मात्रा में इकट्ठा हो जायेगा कि सैलाब बन सके, उस दिन का इन्तजार एवं जनजागरण के अपने अभियान में लगे रहने के सिवा इन अहिंसक संस्थाओं के पास और कोई चारा भी तो नहीं है।

–डॉ. योगेन्द्र यादव

गांधीजी और नयी पीढ़ी

❑ गुणवंत शाह

गांधीजी के जीवन-दर्शन के प्रति मेरा बहुत ज्यादा आकर्षण है और कुछ हद तक मैंने उसका अध्ययन भी किया है, लेकिन मैं गांधीवादी हर्गिज नहीं। मैं उस पीढ़ी का प्रतिनिधि हूँ जिसने गांधीजी को जिन्दा नहीं देखा है, इसलिए गांधीजी की महानता का सबके सामने मूल्यांकन करने की मेरी योग्यता बहुत सीमित है। गांधीजी के जीवन-दर्शन का अध्येता होने के नाते मैं इन दो दिनों में कुछ बातें कहूँगा और इन बातों में मैं बिलकुल तटस्थ रहने की कोशिश करूँगा। मेरा ख्याल है कि गांधीजी से सीधे सम्पर्क के अभाव में और काफी समय बीत जाने के बाद, गांधी जैसे विलक्षण पुरुष का सही मूल्यांकन करने में कुछ हद तक सहूलियत होगी।

गांधीजी की मृत्यु के बाद किशोरलाल मशरूवाला ने 'हरिजन' में अपने प्रथम संपादकीय में लिखा था कि 1948 के बाद 'हरिजन' में जो कुछ छपे उसे गांधीजी के विचारों की अधिकृत व्याख्या नहीं समझी जाय। मशरूवाला के इस वक्तव्य में एक क्रान्तिवादी चिन्तक के चौकसपन का परिचय मिलता है, ताकि ऐसा न हो कि गांधीजी जैसे महान पुरुष के प्रति अन्याय हो जाय।

मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि गांधीजी ऐसे बंद दिमागवाले पुरुष नहीं थे जिन्हें नयी पीढ़ी नापसन्द करे। आज की पीढ़ी के सामने गांधीजी की जो तस्वीर आयी है, वह उनके तथाकथित अनुयाइयों के माध्यम से आयी है। गांधीजी की असली तस्वीर और आज के युवकों के बीच इतने सारे अनुयायी आ गये हैं कि मेरे ख्याल से यह तस्वीर बिगड़ गयी है। नयी पीढ़ी गांधीजी का पूरा आदर करती है और उनकी प्रशंसा भी करती है, लेकिन उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होती। इसके पीछे एकमात्र कारण है, यह बिगड़ी हुई तस्वीर। इसलिए काफी गलतफहमी पैदा हो गयी है, क्योंकि नयी पीढ़ी को गांधीजी का जीवन-दर्शन पुरानी पीढ़ी के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। यह गलतफहमी क्षमा करने लायक है क्योंकि जब खुद गांधीजी ही मानवीय अपूर्णताओं से मुक्त नहीं थे, तब उनके अनुयाइयों के बारे में क्या कहा जा सकता है?

जब विनोबाजी ने यहाँ से करीब दो सौ मीटर दूर 'सरदार भवन' का उद्घाटन किया था, तब किशन सिंह चावड़ा ने उनसे पूछा था कि बापू ने आपको पहला सत्याग्रही क्यों चुना? विनोबाजी ने जवाब दिया था, ''बापू ने मेरा सम्पूर्ण रूप देखा था, सो मेरे दोष उनकी निगाह में नहीं आये।'' हालाँकि गांधीजी के कुछ अनुयायी अफलातून और अरस्तु जैसे महान थे, फिर भी वे मनुष्य प्राणी थे। अगर हम इन अनुयाइयों को अलग भी बिठा दें, तो भी गांधीजी के जीवन की बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आज के युवजन कीमती समझ सकते हैं। इन दोनों पहलुओं की मैं आज की नयी पीढ़ी की आकांक्षाओं के संदर्भ में, जाँच करना चाहता हूँ।

एक बार कॉलेज में पढ़नेवाली एक लड़की से मैंने पूछा था कि गांधीजी के बारे में उसका क्या ख्याल है। उसने जिस ईमानदारी से जवाब दिया, उसे गांधीजी भी पसन्द करते। उसने कहा, ''यह सही है कि गांधीजी महान पुरुष थे, लेकिन वह बहुत ज्यादा रूखे थे, सिद्धांतवादी थे और मजेदारी के विरोधी थे। मेरे ऊपर उनकी ऐसी छाप है।'' यह सही है कि यह जवाब छिछला है, लेकिन यह मानना चाहिए कि यह व्यापक गलतफहमी ही नयी पीढ़ी को गांधीजी से दूर रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। दो मुख्य हेतु हैं जिन्हें आज की पीढ़ी मंजूर करेगीः

1. ब्रह्मचर्य पर बहुत ज्यादा जोर;
2. आचार-व्यवहार के जकड़बंद नियम।

ब्रह्मचर्य पर गांधीजी का आग्रह पहले सिरे का कहा जा सकता है। इस आग्रह को अपने तक सीमित रखने के बजाय वह उसे बढ़ाकर अन्य विवाहित दम्पतियों पर भी लागू करना चाहते थे। जब मैं जवान था, तब मेरे गांधीवादी बुजुर्गों ने मुझे 'पुरुष-स्त्री मर्यादा' के विषय पर श्री मशरूवाला की पुस्तक पढ़ने को मजबूर किया था। इस पुस्तक का गांधीजी से कोई सरोकार नहीं। लेकिन जब मेरी उम्र बढ़ी और मैंने फ्रायड, कार्ल युंग, एदलर, रोनल्ड लेइंग, एरिश फ्रॉम और एरिक एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा भी और पढ़ाया भी, तब मुझे इस पुस्तक की कमियों का पूरा बोध हुआ। हालाँकि यौनाचार (सेक्स) के प्रति गांधीजी का रवैया केवल धर्म-प्रधान ही नहीं था, फिर भी यह बात गहन अनुसंधान की अपेक्षा करती है कि वह पूरी तरह वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक था या नहीं।

इस विषय पर चर्चा के दौरान मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ, जो मुझे मनुभाई पंचोली ने सुनायी थी।

गांधीजी ने लक्ष्मी नामक एक हरिजन कन्या को 'गोद' लिया था। एक बार वह अपने गाँव गयी और वहाँ से आश्रम वापस आयी तब उसके बाल कटे-छँटे हुए थे। इस नयी 'फैशनेबल' लक्ष्मी को देखकर गांधीजी को कुछ हैरानी हुई। उन्होंने इस बारे में मगनलाल गांधी से बात की, और फिर गांधीजी तथा मगनलाल दोनों ने लक्ष्मी को पकड़कर उसके बाल जबरदस्ती काट दिये। लक्ष्मी बहुत रोई-चिल्लाई, मगर बड़ों के आगे ही क्या कर सकती थी? मामला तो खत्म हो गया,

लेकिन चूँकि गांधीजी अपने स्वभाव के अनुसार अपने कार्यों की सख्ती से जाँच-पड़ताल किया करते थे, सो उन्हें बार-बार अहसास होने लगा कि कुछ गलती हुई है। इस बीच नानाभाई भट्ट पहुँच गये। गांधीजी ने उन्हें सारी घटना सुनायी और उनकी राय माँगी। नानाभाई ने कहा, ''आप और मगनभाई उम्र में लक्ष्मी से बड़े हैं, लेकिन क्या इसी कारण यह मानना ठीक है कि आपकी आत्मा उसकी आत्मा से बड़ी है?'' इस जवाब में जो सारगर्भित बात थी, गांधीजी उसके कायल हो गये।

कई साल हुए, पंडित सातवलेकर ने वेदों के आधार पर 'ब्रह्मचर्य' नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। उसमें लिखा है कि ब्रह्मचारी के दो लक्षण होते हैं; ऊर्ध्वरेता और ऋतुगामी। ऋतुगामी भी ब्रह्मचारी होता है। पंडित सातवलेकर ने कहा है कि वेदों के अनुसार आम का पेड़ या कुत्ता भी ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि वह ऋतुगामी होता है। वेदों में ब्रह्मचर्य की ऐसी उदार व्याख्या है। इस विषय पर गांधीजी ने जो कुछ लिखा है, उस पर सरसरी नजर डालने से हमको कुछ अन्दाजा हो जायेगा कि आज की पीढ़ी उनसे कितनी दूर भटक गयी है।

''जब कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति की खातिर सब कुछ निछावर करने को तैयार रहना चाहिए और पत्नी-व्रती पुरुष को अपनी पत्नी की खातिर ऐसा ही करना चाहिए, तब इसका मतलब होता है कि ऐसे जन 'विश्व-प्रेम' की ऊँचाई पर नहीं पहुँच सकते और न वे सारी मनुष्य जाति को अपना कुटुंब समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम की चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी है। जितना बड़ा उनका परिवार होगा, 'विश्व-प्रेम' से वे उतनी ही ज्यादा दूर जा पड़ेंगे। इसलिए अहिंसा के व्रत का पालन करनेवाला विवाह नहीं कर सकता। विवाह संबंध के बाहर कामेच्छा पूरी करने की तो बात ही नहीं।''

''तब उन लोगों का क्या होगा जो विवाहित हैं? क्या वे कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे? क्या वे अपना सबकुछ मानवता की वेदी पर नहीं चढ़ा सकेंगे? उनके लिए एक रास्ता है। वे ऐसा बर्ताव करें, मानो विवाहित नहीं।... अगर विवाहित दम्पती एक-दूसरे को भाई और बहन मान सकें, तो वे विश्व-सेवा के लिए आजाद हो जायेंगे। अगर आदमी यह सोच ले कि दुनिया की सारी नारियाँ उसकी बहनें, माँयें या बेटियाँ हैं, तो तुरन्त उदात्त बन जायेगा और उसकी सारी बेड़ियाँ कट जायेंगी।''

'ब्रह्मचर्याश्रम' नामक नाटक में स्वर्गीय कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी ने ब्रह्मचर्य के बारे में गांधीजी के मन का कसकर मखौल उड़ाया है। लेकिन मार्के की बात यह है कि गांधीजी ने खुद भी इस मखौल का आनन्द लिया।

यहाँ मैं ब्रह्मचर्य के बारे में गांधीजी के मत की चर्चा नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ यह जताना चाहता हूँ कि गांधीजी के दीर्घकालीन अनुभवों पर आधारित निष्कपट विचारों को आज की पीढ़ी नहीं मान सकती। एकादश व्रतों के अन्तर्गत आचार-व्यवहार के कठोर नियमों के बारे में भी यही कहा जा सकता है।

यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि गांधीजी ने बच्चों के लिए भी एक बाल-पोथी (प्राइमर) लिखी थी। इस पोथी के पहले ही अध्याय में सबेरे चार बजे उठने पर जोर दिया है। दूसरे अध्याय में 'कडुवा' पाठ है कि नीम की दातुन से दाँत साफ करने चाहिए। इस तरह की पोथियाँ बाल-मनोविज्ञान का क-ख भी नहीं जाननेवाला ही लिख सकता है। गुजरात में बच्चों की 'मूँछोंवाली माता' के नाम से मशहूर बाल-शिक्षा विशेषज्ञ श्री गीजूभाई बढेरा ने तो इतना तक कह दिया, ''अगर मुझे नहीं बताया जाता कि यह बाल-पोथी गांधीजी ने लिखी है, तो पढ़ने के बाद मैं इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देता।'' मुझे याद है कि विनोबाजी सर्दी के मौसम में बड़े सबेरे बच्चों को साबरमती के ठंडे पानी में डुबकी लगवाते थे। मगर विनोबाजी की तारीफ में कहना पड़ेगा कि कुछ वर्षों बाद उन्होंने गलती कबूल कर ली थी।

मैं मानता हूँ कि नयी पीढ़ी को गांधीजी के कुछ आग्रहों, मदों और दुराग्रहों को नापसन्द करने का और ठोकर मारने का भी अधिकार है। मैं तो यह भी कहता हूँ कि ऐसा करना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ कि गांधीजी जैसे बहु-ज्ञाता पुरुष के अनेक आकर्षक पहलुओं की उपेक्षा नयी पीढ़ी को बहुत महँगी पड़ेगी। गांधीजी का मूल्यांकन उसी आध्यात्मिक पवित्रता की दृष्टि से करना चाहिए जिस दृष्टि से उन्होंने विनोबाजी को देखा था। ❑

विश्ववृत्ति का विकास

हम किसी देश-विदेश के अभिमानी नहीं, किसी धर्म-विशेष के आग्रही नहीं
किसी सम्प्रदाय या जाति-विशेष से बद्ध नहीं।
विश्व में उपलब्ध सद्विचारों के उद्यान में, विहार करना, यह हमारा स्वाध्याय
सद्विचारों को आत्मसात करना, यह हमारा धर्म।
विविध विशेषताओं में सामंजस्य प्रस्थापित करना,
विश्ववृत्ति का विकास करना, यह हमारी वैचारिक साधना।

–विनोबा भावे

गाँवों पर शहर की विलासिता का प्रभाव

❑ टॉल्सटॉय

मुझे याद है कि नगर के दीन-दुखियों की सहायता करने का निष्फल प्रयत्न करते समय मुझे ऐसा लगता था कि जिस दलदल से मैं दूसरों को बाहर निकालने की चेष्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं स्वयं खड़ा हुआ हूँ। मेरे प्रत्येक नये प्रयत्न ने मुझे यह अनुभव करने के लिए बाध्य किया कि जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ वह पोली है। मैंने अनुभव तो किया कि मैं दलदल में हूँ; किन्तु इस अनुभूति से उस समय मुझे यह प्रेरणा उत्पन्न नहीं हुई कि मैं अपने तले की भूमि की अधिक सावधानी के साथ जाँच-पड़ताल करूँ या पता लगाऊँ कि मैं किस वस्तु पर खड़ा हूँ। मैं तो अपनी चारों ओर फैली हुई बुराई को दूर करने के लिए लगातार बाहरी उपायों की खोज में ही लगा रहा।

उन्हीं दिनों मैंने यह भी अनुभव किया कि मेरा जीवन बुरा है और इस प्रकार रहने से काम नहीं चलेगा। इतने पर भी मैं इस सहज और स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका कि मुझे अपने रहन-सहन में सुधारकर उत्तमतर जीवन बिताना चाहिए। इसके विपरीत, मैं इस विचित्र निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए दूसरों का जीवन सुधारना आवश्यक है और बस, मैं इसी सुधार-कार्य में लग गया।

मैं नगर में रहता था और वहाँ रहनेवाले दूसरे लोगों के जीवन को सुधारना चाहता था; किन्तु मुझे शीघ्र ही इस बात का विश्वास हो गया कि यह काम मेरे लिए सम्भव नहीं है और इसीलिए मैं शहरी जीवन तथा निर्धनता के रूप पर विचार करने लगा।

''यह शहरी जीवन और शहरी निर्धनता है क्या वस्तु? क्या कारण है कि मैं शहर में रहते हुए शहर के कंगालों की सहायता नहीं कर सकता?'' ये प्रश्न मेरे मन में उठे और उनका मेरे मन ने ही जो उत्तर दिया, वह इस प्रकार था—''मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो वे एक ही स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान हैं और दूसरे वे गाँव के गरीबों से बिलकुल भिन्न हैं।''

''तो फिर उनके यहाँ इतनी बड़ी संख्या में होने का क्या कारण है और उनमें तथा गाँव के गरीबों में क्या भेद है?'' ये प्रश्न मेरे मन में फिर उठे और इनका एक ही उत्तर मिला—''इन निर्धनों के यहाँ इतनी बड़ी संख्या में विद्यमान होने का कारण यह है कि गाँव में जो लोग अपना पेट नहीं भर पाते, वे सब-के-सब यहाँ आकर अमीरों के आस-पास इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी विशेषता ही यह है कि रोटी कमाने के लिए ये गाँव छोड़कर शहर में आ बसे हैं। यदि इनमें कुछ ऐसे हैं, जिनका जन्म शहर में ही हुआ था और जिनके बाप-दादा भी शहर में ही पैदा हुए थे, तो इसका यह मतलब है कि इनके पूर्वज यहाँ रोटी कमाने आये होंगे।''

''शहर में रोटी कमाना!'' इसका क्या अर्थ है? इन शब्दों पर विचार करने से पता चलता है कि इनमें एक अजीब मजाक जैसी बात है। जिस देहात में जंगल हैं, मैदान हैं, अनाज हैं, चौपाये हैं, सारांश यह है कि जहाँ धरती की सारी सम्पदा है, उस देहात को छोड़कर लोग रोटी कमाने के लिए भला ऐसी जगह क्यों आते हैं, जहाँ न पेड़ है, न घास, न धरती और जहाँ सिर्फ पत्थर और धूल-ही-धूल है? जिन शब्दों का प्रयोग खाने और खिलानेवाले दोनों ही इस प्रकार करते हैं, मानो उनके लिए वे सर्वथा स्पष्ट और बुद्धिगम्य हों, उन शब्दों का क्या अर्थ है?

मुझे याद है कि जब मैंने नगर में रहनेवाले सैकड़ों और हजारों लोगों से, जिनमें से कुछ अमीर थे और कुछ गरीब थे, यह पूछा कि आप नगर में क्यों आये हैं, तो उनमें से प्रत्येक ने बिना किसी अपवाद के यही उत्तर दिया—

''मास्को में बोया-काटा नहीं जाता, फिर भी वहाँ धन का ढेर लगा है।''

सबने यही कहा कि मास्को में प्रत्येक वस्तु की बहुलता है और वही एक ऐसा स्थान है, जहाँ से उस धन का उपार्जन कर सकते हैं, जिसकी उन्हें गाँव में अनाज, मकान, घोड़ा और जीवन-सम्बन्धी आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए आवश्यकता पड़ती है। फिर भी यह तो सब जानते हैं कि गाँव ही समस्त सम्पदा का उद्‌गम है और वहीं वास्तविक धन, अनाज, लकड़ी, घोड़ा आदि मिलता है। तो फिर जो वस्तु देहात में उपलब्ध है, उसे लेने के लिए लोग शहर क्यों जाते हैं? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि गाँववालों को आटा, जौ, घोड़े, चौपाये आदि जिन पदार्थों की स्वयं आवश्यकता रहती है, उन्हें वे लोग देहात से शहर में क्यों ले आते हैं?

इस विषय पर मैंने शहर में रहनेवाले किसानों से सैकड़ों बार चर्चा की और उनकी बातचीत तथा अपने अध्ययन से मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि गाँववालों का शहर में आना कुछ तो अनिवार्य है, क्योंकि उनके पास पेट पालने का कोई दूसरा साधन नहीं और कुछ स्वेच्छापूर्ण है, क्योंकि नागरिक जीवन के प्रलोभन उन्हें आकर्षित करते हैं। यह सच है कि देहात में किसान की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि उसे अपने सिर पर आ पड़नेवाले विविध व्ययों की पूर्ति के लिए अपना वह अनाज और पशु-धन बेचना पड़ता है, जिसको वह जानता है कि उसे स्वयं आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार विवश होकर, चाहे वह

पसन्द करे या न करे, उसे अपना अनाज वापस पाने के लिए शहर जाना पड़ता है; किन्तु साथ-ही-साथ यह भी सच है कि शहर में पैसा कमाने की जो अपेक्षाकृत आसानी होती है, उससे आकर्षित होकर और शहरी जीवन के वैभव के लोभ में भी वह शहर की ओर खिंचा चला आता है। वहाँ वह जीविका कमाने का बहाना लेकर कम मेहनत का काम ढूँढ़ने, बढ़िया खाने-पहनने, दिन में तीन-चार बार चाय लेने और शराब के नशे में चूर होकर स्वेच्छाचारितापूर्ण जीवन बिताने के लिए भी जाता है।

दोनों परिस्थितियों का कारण एक ही है; वह यह है कि धन उत्पादकों के हाथ से निकलकर उन लोगों के पास चला जाता है, जो उत्पादक नहीं हैं और इस प्रकार शहर में इकट्ठा हो जाता है। जब सर्दी का मौसम आता है, तब ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मी गाँवों में आ बसी हो, किन्तु तत्काल ही कर, फौजी भरती, लगान आदि सिर पर आ पड़ते हैं और वोडका, शादी-विवाह, उत्सव, खोमचेवाले आदि अनेक आकर्षण मन को खींचने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि भेड़, बछड़ा, गाय, घोड़ा, सूअर, मुर्गी, अंडा, मक्खन, सन, राई, जौ, मेथी, मटर, पाट के बीज, अलसी आदि विभिन्न रूपों में सारी सम्पत्ति दूसरे आदमियों के हाथ चली जाती है और फिर देहातों से कस्बों में तथा कस्बों से शहर में पहुँचा दी जाती है। बेचारा किसान कुछ तो अपने खर्चों की पूर्ति के लिए और कुछ प्रलोभन के चक्कर में पड़कर अपनी समस्त सम्पत्ति को बेचने के लिए विवश हो जाता है और फिर कंगाल बनकर उसी जगह जाता है, जहाँ उसका धन गया है। वहाँ वह कुछ तो इस बात का प्रयत्न करता है कि देहातों में उसे जिन पदार्थों की नितान्त आवश्यकता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए पैसे कमा ले और कुछ शहर के प्रलोभन में फँसकर वह दूसरों के साथ व्यसनों में लिप्त हो जाता है। ❑

साम्प्रदायिकता की अनदेखी

❑ पूनम सिंह

भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भारत में प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही। पंथनिरपेक्ष का तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से है जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। पं. जवाहरलाल नेहरू ने 'भारत आज और कल' में लिखा है कि ''भारत उन सबका घर है जो यहाँ रहते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, उनके अधिकार और दायित्व बराबर हैं। हमारा समाज मिला-जुला समाज है और आधुनिक बहुधर्मी समाज में व्यक्तिगत विश्वास और व्यक्तिगत आचरण का सम्मान किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता एक संघीय समाज का सिद्धान्त है, जो सभी लोगों के कल्याण के लिए है। हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ प्रत्येक धर्म को पूरी आजादी और पूरा सम्मान मिलेगा और उसके नागरिकों को समान आजादी तथा समान अवसर मिलेंगे।''

गांधीजी ने 9 अगस्त 1942 को कहा था कि ''आजाद हिन्दुस्तान हिन्दू राज नहीं होगा, यह भारतीय राज्य होगा जो किसी एक धर्म को माननेवालों की बहुसंख्या पर आधारित नहीं होगा बल्कि भेदभाव के बिना सारी जनता के प्रतिनिधित्व पर आधारित होगा।''

सर्वप्रथम हमें साम्प्रदायिकता एवं धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को समझना होगा। साम्प्रदायिकता का अर्थ है—राज्य द्वारा राजनीतिक और गैर-धार्मिक मामलों में धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार करना; और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य के सभी नागरिकों के लिए विकास का समान अवसर।

भारतीय समाज, कई ऐसे सम्प्रदायों में बँटा हुआ है जिनके हित न केवल अलग हैं बल्कि एक-दूसरे के विरोधी भी हैं। दरअसल साम्प्रदायिकता एक विचारधारा है। समाज को विचारधाराओं के जरिये साम्प्रदायिक बनाया जाता है; लोकतंत्र में संविधान की सहमति के बावजूद साम्प्रदायिक दलों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाना आसान नहीं है। आज साम्प्रदायिकता किसी स्थान, गाँव या राज्य की समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है। सन् 1947 का देश-विभाजन साम्प्रदायिक विचारधारा के प्रसार का ही नतीजा था। साम्प्रदायिकता की धर्मनिरपेक्ष ताकतों द्वारा अनदेखी की जाती रही है। भारत में पिछली एक सदी से साम्प्रदायिकता का चेहरा नजर आ रहा था और आजादी से दशकों पहले से ही हमारे विदेशी शासक इसे आश्रय देते आ रहे हैं।

'धर्मनिरपेक्षता' के महत्त्व को समझने के लिए विभिन्न धर्मों के मूल तक जाने की आवश्यकता है। सभी धर्म मानवसहित सृष्टि की रचना के पीछे किसी परमशक्ति को मानते हैं जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। हमारे देश के विविधतापूर्ण समाज में अपने-अपने धर्म का आचरण करते हैं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने साथ-साथ रहने की शिक्षा पाकर सभी को ईश्वर के किसी भी रूप की पूजा करने की आजादी दी है। भारतीय गणतंत्र अनेक धर्मों तथा अनेक जातियोंवाला देश है। इसलिए भारत द्वारा अपनायी गयी लोकतांत्रिक जीवन-पद्धति की सफलता के लिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त का महत्त्व बुनियादी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता

एक निषेधात्मक अथवा निष्क्रिय विचारधारा नहीं है। यह व्यापक अनुप्रयोग की सामाजिक धारणा है, जो स्वरूप में क्रांतिकारी, प्रगतिशील और संचालन में गतिशील है। हमारे यहाँ वैधानिक प्रभुतासम्पन्न संविधान है, इसके प्रति हम निष्ठावान हैं। भारत कभी भी धर्म-आधारित राज्य नहीं बन सकता है, और न ही वह ऐसा राज्य बन सकता है जिसमें धर्म के लिए कोई आदर न हो। भारतीय परम्परा सभी धर्मों को आदर देने की रही है।

साम्प्रदायिकता के बारे में धैर्यपूर्वक सैद्धान्तिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है? इसका सीधा जवाब यह है कि साम्प्रदायिक विचारधारा में विश्वास रखनेवाले तत्त्वों को सामने लाया जाय और साम्प्रदायिकतका के चरित्र के बारे में एक लोकशिक्षा और लोक-चेतना अभियान चलाया जाय। लोगों के मन में यह धारणा बैठायी जाय कि साम्प्रदायिक लोग कुछ खास सामाजिक और राजनीतिक समूहों और नेताओं, दलों को लाभ पहुँचाने के लिए मुखौटे लगाया करते हैं और साम्प्रदायिक विचारधारा साम्प्रदायिक हिंसा का रूप धारण कर लिया करती है। साम्प्रदायिक हिंसा और साम्प्रदायिक विचारधारा को एक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। साम्प्रदायिक हिंसा साम्प्रदायिकता का केन्द्र नहीं है। साम्प्रदायिक विचारधारा और साम्प्रदायिक हिंसा के बीच अन्तर इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि दोनों से निपटने के तरीके अलग हैं और दोनों का हमारे तंत्र और राज्य से रिश्ता भी अलग-अलग है। साम्प्रदायिक विचारधारा को निर्मूल करना एक लम्बी और दूरगामी प्रक्रिया है, जबकि साम्प्रदायिक हिंसा से तत्काल जूझना होता है। साम्प्रदायिक हिंसा को दबाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज या देश इसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन साम्प्रदायिक विचारधारा को ताकत से नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि ताकत से या सरकारी प्रतिबंधों के द्वारा किसी विचारधारा को मारा नहीं जा सकता, अपितु विचारधारा से ही विचारधारा पर विजय पायी जा सकती है। साम्प्रदायिकता का उन्मूलन करने में राजनीतिक-बुद्धिजीवी वर्ग, संस्कृतिकर्मी, लेखक, पत्रकारों, कलाकारों तथा शिक्षकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन खेद की बात यह है कि शिक्षा प्रणाली स्कूल, कॉलेज दोनों ही स्तरों पर साम्प्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रीयता पनपाने और फैलाने में इस्तेमाल हो रही है। खासतौर पर भारतीय भाषाओं में साम्प्रदायिक अखबारों और पत्रिकाओं का चलन तेज हुआ है और अब तो कई टीवी चैनल भी यही काम कर रहे हैं। साम्प्रदायिक विश्वासतंत्र का आधार भारतीय इतिहास की साम्प्रदायिक व्याख्याएँ हैं। बचपन से ही किस्से-कहानियों तथा मौखिक ज्ञान के द्वारा ये हमारे संस्कार में शामिल हो गयी हैं। इतिहास ने हमें यह बताया है कि भारतीय इतिहास का प्राचीनकाल गौरव और महानता का युग था और मध्यकाल से भारत का पतन शुरू हुआ है।

हमें भूलना नहीं चाहिए कि तथ्यपरक समस्याओं की साम्प्रदायिक व्याख्याएँ ही भारत विभाजन का आधार बनीं। पहले तो भारत को तोड़ने की मंशा से ब्रिटिश लेखकों ने इसकी व्याख्या की और बाद में हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक लेखकों ने।

जब हम साम्प्रदायिकता को विचारधारा मान लेते हैं तो हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि किसी साम्प्रदायिक पार्टी को किन्हीं खास कार्यक्रमों या नीतियों से नहीं आँका जा सकता। साम्प्रदायिक दलों के मूल में नीतियाँ नहीं साम्प्रदायिक विचारधारा रहती है। साम्प्रदायिकता के विचारक और नेता साम्प्रदायिक वायरसों को जन्म देते हैं, उन्हें सोच-समझकर फैलाते हैं; वे समाज के शत्रु हैं। जहाँ तक दंगों से सम्बन्ध है यही लोग दंगाइयों को प्रेरित करते और भड़काते हैं, इसलिए ये लोग ही असली अपराधी हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि धर्मनिरपेक्ष दल साम्प्रदायिक दलों से कोई रिश्ता न रखें। वे ऐसे समूहों या दलों से नाता तोड़ लें जो धर्मनिरपेक्षता का दावा करने के बावजूद सोच में साम्प्रदायिक हैं। आजकल साम्प्रदायिक दलों के साथ अवसरवादी रिश्ते का रिवाज बन गया है। इस रिश्ते को बनाने (सत्ताप्राप्ति) के लिए साम्प्रदायिक दलों से समझौता कर लिया जाता है।

यही नहीं, धर्म को साम्प्रदायिकता की राजनीति में उपकरण की तरह प्रयोग किया जाता है। यह भारत के लोगों का हक है कि वे किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी विचारधारा को अपना सकते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य समान है कि वह लक्ष्य है भारत को सुदृढ़ करना। किन्तु हमारे यहाँ फूट डालनेवाली प्रवृत्तियाँ भी मौजूद हैं, समाज में ऊँच-नीच और आर्थिक शोषण अभी भी जारी है। सामाजिक संघर्षों को नियंत्रित करनेवाले सामाजिक संगठनों को, राज्य को धर्मनिरपेक्षता की भावना का पोषण करने और उसे समाज के सभी सदस्यों के मन में बैठाने में प्रमुख भूमिका निभानी है। धर्मनिरपेक्षता हमारी संवैधानिक व्यवस्था की सामाजिक चेतना और मानवता का सारतत्त्व है। हमारा स्वराज आंदोलन, छोटे-मोटे भटकावों के बावजूद मूलतः धर्मनिरपेक्ष था। हमारे राष्ट्री नेताओं ने और विशाल जनता ने भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरूद्ध धर्मनिरपेक्षता की तलवार से लड़ाई लड़ी। धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया हमारे राष्ट्रीय जीवन का ताना-बाना है क्योंकि यह मात्र एक अमूर्त सिद्धान्त, दार्शनिक मत अथवा सांस्कृतिक विलास नहीं है बल्कि यह हमारी मिली-जुली विरासत है। भारत में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं तो ऐसे में धार्मिक मतभेद होना स्वाभाविक है। इन्हीं मतभेदों का फायदा साम्प्रदायिक लोग उठाते हैं और समाज को गुमराह करते हैं। इसके विपरीत समाज में अनेकों ऐसे धार्मिक लोग रहे और हैं जो साम्प्रदायिकता के खिलाफ हैं और

धर्मनिरपेक्षता को अपने जीवन के आधार के तौर पर स्वीकार करते हैं; महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद इत्यादि आत्मा से धार्मिक थे फिर भी पूरे धर्मनिरपेक्ष थे। यही नहीं बीसवीं सदी के कई क्रांतिकारियों ने धर्म को प्रेरणा के लिए अपनाया, लेकिन वे साम्प्रदायिकता से दूर रहे। धर्म ने इन लोगों को देश की आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी। क्रांतिकारियों के धार्मिक विश्वासों ने उन्हें साम्राज्यवाद के विरूद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान की। धर्मनिरपेक्षता का भारत की सभ्यता के मूल में मजबूत स्थान रहा है।

धर्मनिरपेक्षता के लिए काम करनेवाली ताकतें बड़ी कठिन स्थिति में हैं। धर्मनिरपेक्षता को ही जीवन-दर्शन मानकर चलनेवाली ताकतें आज नहीं दिखायी देतीं। परन्तु धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रवृत्तियों में चिन्ताजनक वृद्धि दिखायी दे रही है।

किन्तु यह भी तथ्य है कि धर्मनिरपेक्षता भारत की ही नहीं पूरे विश्व के आधुनिक समाज की सबसे बड़ी शक्ति है और चुनौती भी। हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार भी यही रही है। इसका उदाहरण काकोरी काण्ड के शहीद हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को अपने जंगे-आजादी का आधार बनाया। सन् 1920 के साम्प्रदायिक दंगों से दुखी पं. रामप्रसाद 'बिस्मिल' ने जनवरी सन् 1928 के अपने आखिरी संदेश में हिन्दू और मुसलमानों से एक रहने का आग्रह किया था और अपने प्रिय साथी अशफाक खान को इंगित करते हुए लिखा था, ''अगर हमारे देशवासियों को हमारी मौत पर जरा भी अफसोस हो तो हमारी अपील है कि वे हिन्दू-मुस्लिम एकता बनाकर रखें; यह हमारी आखिरी इच्छा है और यही एकता हमारा स्मारक बनेगी।''

भारतीय जनमानस में धर्मनिरपेक्षता के गौरव की सुदृढ़ स्थापना के लिए आज भी इसी जज्बे की जरूरत है। ❑

लोकसेवकों के नवीनीकरण का नया विधान

अभी अपने यहाँ परम्परा है कि प्रत्येक लोकसेवक को हर तीन साल के बाद पुनः लोकसेवक फार्म भरना पड़ता है। अनेक लोगों को यह याद नहीं रहता है कि उनका तीन वर्ष कब पूरा हुआ।

उक्त समस्या के निराकरण हेतु 25-26 फरवरी 2016 को मौड़ीग्राम (हावड़ा, पश्चिम बंगाल) में हुई कार्यसमिति की बैठक में सर्वसम्मति से वर्ष 2016-17 से सभी लोकसेवकों को लोकसेवक निष्ठा-पत्र भरवाने का निर्णय किया है। अगर किसी ने वर्ष 2015-16 में भी निष्ठा-पत्र भरे हों तो भी उन्हें वर्ष 2016-17 का निष्ठा-पत्र भरना होगा। इसके बाद वर्ष 2019-20, 2022-23, 2025-26 आदि वर्षों में पुनः निष्ठा-पत्र भरने होंगे।

लोकसेवकों के नवीनीकरण 1 अप्रैल से 30 जून तक की अवधि निर्धारित है। 31 जुलाई तक सभी निष्ठा-पत्र शुल्क के साथ सेवाग्राम कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। हम आपको इस वर्ष पुनः स्मरण दिलाना चाहते हैं कि पिछले वर्षों में कई त्रुटियों के कारण अनेक लोकसेवकों के नाम हमारे रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाये हैं। इनमें से कुछ त्रुटियाँ इस प्रकार हैं—

1. किसी भी लोकसेवक के निष्ठा-पत्र पर ऐसे दो लोकसेवकों का अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर अनिवार्य है, जो लगातार पिछले दो वर्षों से लोकसेवक हों।

2. अनुमोदकों के रूप में ऐसे लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं, जिनका नाम हमारे रेकार्ड में लोकसेवक के रूप में ही नहीं है।

3. सर्व सेवा संघ कार्यालय में प्राप्त कई फार्म पर एक ही अनुमोदक के हस्ताक्षर हैं।

4. फार्म आये हैं पर शुल्क नहीं आये हैं।

5. शुल्क आये हैं पर फार्म नहीं आये हैं।

6. शुल्क के साथ सिर्फ सूची आयी है, फार्म नहीं।

7. सिर्फ लोकसेवकों की संख्या एवं शुल्क भेजे गये हैं पर फार्म नहीं।

8. शुल्क कम आये हैं।

9. लोकसेवकों के फार्म प्रदेश सर्वोदय मंडल के कार्यालय में पड़े रहे। उन्होंने समय बीत जाने के बाद प्रधान कार्यालय को भेजा।

नये लोकसेवक कभी भी बनाये जा सकते हैं। लोकसेवक शुल्क का विनिमय इस प्रकार होता है :

जिला सर्वोदय मंडल	: रुपये	5/-
प्रदेश सर्वोदय मंडल	: रुपये	10/-
सर्व सेवा संघ (अ.भा.सर्वोदय मंडल)	: रुपये	10/-
	कुल : रुपये	**25/-**

सर्वोदय मित्र

सर्वोदय मित्रों को प्रतिवर्ष फार्म भरना पड़ेगा।

सर्वोदय मित्र शुल्क का विनिमय इस प्रकार होता है—

जिला सर्वोदय मंडल	: रुपये	6/-
प्रदेश सर्वोदय मंडल	: रुपये	2/-
सर्व सेवा संघ (अ.भा.सर्वोदय मंडल)	: रुपये	2/-
	कुल : रुपये	**10/-**

कृपया इस प्रकार नवीनीकरण की प्रक्रिया आरम्भ करने तथा उसकी जानकारी सभी लोकसेवकों/सर्वोदय मित्रों को देने का कष्ट करेंगे।

–महादेव विद्रोही, अध्यक्ष

''क्यों दोहरे हो गये हैं–हमारे मापदण्ड''

❑ किशनगिरि गोस्वामी

आजकल देश में एक बौद्धिक-सांस्कृतिक द्वन्द्ध चल रहा है कि भारतीय समाज कैसा होना चाहिए? अच्छे मनुष्य कौन हैं और उनमें किस तरह के सम्बन्ध होने चाहिए? इस बौद्धिक संघर्ष की जद्दोजहद में इस तरह की बातें भी खुल कर सामने आ रही हैं कि ''भारतमाता की जय'' बोलना राष्ट्रप्रेम की पहली शर्त है। वास्तव में यदि ऐसा है, तो महबूबा मुफ्ती के शपथग्रहण के दौरान भी यही नारा लगना चाहिए था, क्योंकि भाजपा वहाँ सत्ता में भागीदार है। यदि वहाँ यह नारा नहीं लगा, तो एन.आई.टी. श्रीनगर में यह नारा क्यों लगना ही चाहिए?

भाजपा सालों से नारा लगाती आ रही है—

जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी,
वो कश्मीर हमारा है।

अब तो दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक भाजपा का शासन है। तब श्रीनगर में यह क्या हो रहा है। भाजपा के राज में श्रीनगर एन.आई.टी. के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने एवं भारतमाता की जय का नारा लगाने पर लाठियाँ बरसायी जाती हैं। क्या अमित शाह इसे ही राष्ट्रवाद मानकर अगले पचीस साल तक शासन का दावा कर रहे हैं? क्या इसे सत्ता के लिए पी.डी.पी. के सामने घुटने टेकना नहीं माना जाय? यदि कश्मीर में भाजपा साझा सरकार नहीं बनाती, तो क्या कयामत टूट पड़ती? राष्ट्रवाद नारा लगाने की नहीं, महसूस करने की चीज है।

यहाँ अहम सवाल यह है कि राष्ट्रद्रोह को जिस परिभाषा के आधार पर जे.एन.यू. में नारेबाजी करनेवालों के विरूद्ध कार्यवाही करने में जो तत्परता दिखायी गयी थी, वही तत्परता श्रीनगर एन.आई.टी में क्यों नहीं दिखायी गयी? क्या श्रीनगर में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की हिम्मत सरकार जुटा सकेगी? सत्ता मिलने के बाद भाजपा को अहंकार में डूलने के बजाय विनम्र होना चाहिए। विपक्ष को कोसने के बजाय वे काम करने चाहिए, जो जनता ने उन्हें सौंपे हैं।

कश्मीर घाटी में पाकिस्तान जिन्दाबाद और हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे पहले भी लगते रहे हैं। भारतीय कानून के मुताबिक अगर इस तरह के नारे लगाना अपराध है तो ऐसे लोगों के विरूद्ध निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही की ही जानी चाहिए। यही नहीं, इस तरह की नारेबाजी घाटी में न हो और वहाँ के लोग मुख्य धारा में जुड़ें, इसके लिए वहाँ बहुत से काम करने की जरूरत है। इसके लिए वहाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक कदम उठाये जाने चाहिए। इसे 'मुद्दा' बनाकर कश्मीर से बाहर देशभर के लोगों को 'गोलबन्द' करना, किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता।

जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय के सन्दर्भ की बात है, तो देशद्रोह और देशभक्ति की जो परिभाषाएँ वहाँ दी गयीं, जो मानक गढ़े गये, वे इस देश के संविधान के विरोधी थे। देश के कई नामी-गिरामी कानूनविदों ने भी कहा कि ''जे.एन.यू. के घटनाक्रम से निपटने का तौर-तरीका ठीक नहीं था। देशद्रोह एवं देशभक्ति के दायरे में उन बातों को नहीं लाना चाहिए, जिन्हें वर्तमान सरकार लाने का प्रयास कर रही है।''

जे.एन.यू. और हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में हैं। ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार उन विश्वविद्यालयों पर गिन-गिन कर निशाना साध रही है, जो देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय माने जाते रहे हैं। सरकार का आरोप है कि इन विश्वविद्यालयों में राष्ट्रविरोधी तत्त्व सक्रिय हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या राष्ट्रविरोधी शक्तियाँ इन सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों का संचालन कर रही हैं? ये बातें अपने आप में ही विरोधाभासी हैं। गंभीर चिन्ताजनक बात तो यह है कि देश के जिन विश्वविद्यालयों से समाज के दलित, उत्पीड़ित एवं आदिवासी समुदाय से सम्बन्धित प्रबुद्ध नेतृत्व उभरकर आ रहे हैं, इन दिनों उन्हीं विश्वविद्यालयों को चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ये हालात लोकतंत्र के लिए कत्तई ठीक नहीं हैं।

अहले गुलशन जख्मी बदन हो गये,
अच्छे मौसम भी अब बदचलन हो गये।
उनको गंगा भी मैली नजर आयेगी,
जिनके नापाक खुद अपने मन हो गये।
बागवानी का जिनको सलीका नहीं,
आज उनके हवाले चमन हो गये। ❑

जनतंत्र समाज का वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न

16-17 अप्रैल, 2016 को देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित जनतंत्र समाज का वार्षिक सम्मेलन लोकनायक जयप्रकाश के अनन्य सहयोगी एवं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन में देशभर में फैले अघोषित आपातकाल एवं वैचारिक आतंकवाद के सम्बन्ध में गंभीर चर्चा हुई। सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव विद्रोही ने इस सम्मेलन में भाग लिया। जनतंत्र समाज के लोगों ने यह तय किया कि इस समय समाज में फैल रही इन दोनों बीमारियों के इलाज के लिए हमें जनमानस को जागृत करना चाहिए।

दृष्टि और सृष्टि

सूखा अप इंडिया

❑ अरविंद अंजुम

जबसे केन्द्र में नयी सरकार बनी है तबसे जनता के लिए 'नारों का, बहारों का' मौसम आ गया है। ये लोग बाग तो इससे शुरू में बाग-बाग हो गये थे, फिर धीरे-धीरे मंदाग्नि के शिकार हो गये। पर जो उड़न्त-फिरन्त हैं, उनके उत्साह में कोई खास मंदी नहीं देखी जा रही है। हालाँकि यह दीगर बात है कि पूरी दुनिया की मंडी मंदी की शिकार है। कुछ ऐसे सामर्थ्यवान भुजावाहक एवं ध्वजावाहक होते हैं जो हर मुसीबत का, चुनौती का मुकाबला अपनी 'बोली' से करने में अगाध विश्वास रखते हैं।

खैर, बात हो रही थी—नारों की, बहारों की। एक से एक तुर्रम खाँ वाली बातें उछल-कूद मचाती सामने आ रही हैं। स्वच्छ भारत, डिजिटल इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया, ये इण्डिया, वो इण्डिया के बाद ताजा स्लोगन, मोहक आइटम पेश है—सूखा अप इण्डिया। देश के अधिकांश हिस्से के लिए नया तोहफा। सूखा अप इण्डिया।

देश में सूखा पड़ा है तो खेत-खलिहानों, मैदानों से भी ज्यादा कुछ लोग हैं जो ज्यादा ही सूख रहे हैं। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि सूखा क्या सरकारों के निमंत्रण पर आया है। यह तो प्रकृति की कृपा है। अपनी फितरत से वह तो कुछ भी कर-करा दे। ये जो विरोधी मानसिकता वाले हर समय पक्ष के फटे में उँगली घुसेड़ने को बेताब रहते हैं। मानो सत्ता से बेदखल होने के बाद और कोई काम न बचा हो। ये तो सत्ताच्युत हैं तो खुन्नस निकालेंगे ही। पर भोली-भाली, सीधी-साधी, निरीह निर्दोष जनता बेचारी क्यों इनके बहकावे में आकर सूखा-सूखा चिल्लाने लगी है। कैसे इनके बहकावे में आ गयी! पहले बहकाने व चिल्लाने का काम विरोधी दलों का होता था, पर नहीं सरकार ने अपनी क्षमता का विस्तार करते हुए इस पर भी कब्जा जमा लिया है, पेटेंट मार लिया है। सरकार के शेर पूरे देश को जंगल समझकर दहाड़ते फिर रहे हैं तो फिर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, न ही चिंतन की। हर खास ओ आम को सूखा का समान समाजवादी पैकेज उपलब्ध है। सरकार कोई भेदभाव नहीं बरत रही है।

आसमानी और जमीनी सत्ता का ऐसा चमत्कारी मेल पहले कभी नहीं हुआ था। भक्त सरकार के कार्यकाल में ही ऐसा अभूतपूर्व घटित हो सकता है। सूखा आया है तो इसके पीछे छिपे सुख को समझना है। भगवान जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं। अगर देश की जनता को सूखा मिला है तो यह एक अवसर भी है। आजकल स्वॉट विश्लेषण का प्रचलन है। मतलब ताकत, कमजोरी, अवसर और चुनौती। इस सिद्धान्त को ध्यान देने से यह विपदा नहीं अवसर में तब्दील हो जायेगा। आप इस अवसर का लाभ उठाकर तरह-तरह की योजना बना सकते हैं। एक सूखा मुक्ति अभियान चला सकते हैं। तालाब, कुँआ, नलकूप के साथ-साथ नदी को जोड़ सकते हैं। समझें, कितनी लाभकारी होगी। लोग बाग-बाग ही नहीं मालामाल हो जायेंगे।

यहाँ सूखे का एक और डाइमेंशन है, आयाम है। पर्यटन का। भई, किसी को रेगिस्तान घूमना है तो गर्मी के दिन में जाना चाहिए। उसी तरह बर्फीले क्षेत्रों में बर्फबारी तथा चेरापूँजी बरसात में जाया जाय। तभी तो परम आनन्द मिलेगा। सूखा आया है तो पर्यटन का मौका भी लाया है। इसे अब नये पैक में पर्यटकों को भीड़ के बीच लैंड करा देना है। पर्यटक हाथों-हाथ लेंगे। नारा होगा– सूखा दर्शन, सुख दर्शन। 44 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री पर धरती का नजारा कैसे अलग-अलग दिखता है, यह क्या कम दिलचस्पी की चीज है। ठेठ देशी क्या विदेशी भी दौड़ पड़ेंगे। लातूर के सूखे की, बुंदेलखंड के सूखे की विशेषताओं को बताया जाय। पर्यटन का ग्राफ बढ़ेगा और विदेश मुद्रा भण्डार उछलने लगेगा, अंततः इण्डिया की बाँछें खिल जायेंगी। चश्मा, टोपी, बोतल, पानी, शीतल पेय का व्यापार जो बढ़ेगा, वह बोनस होगा। हमारा जी.डी.पी. कुलाँचे मारने लगेगा। इन सब संभावनाओं पर मिट्टी डालने से हर किसी को आगाह किया जाता है। आप जानते ही हैं—खलक खुदा का, मुलुक बादशा का। फिर क्या? कुछ नहीं! स्टॉप!! ❑

आवश्यक सूचना

आदरणीय बहन/भाई,

जय जगत,

कुछ अपरिहार्य कारणों से सर्व सेवा संघ कार्यसमिति की 12 एवं 13 जुलाई 2016 को कोल्हापुर में होनेवाली बैठक स्थगित की गयी है। नये स्थान एवं तारीख की जानकारी शीघ्र ही दी जायेगी। आपको हुई असुविधा के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं।

आपका

शेख हुसैन

महामंत्री, सर्व सेवा संघ

बुद्धिमान व्यक्ति का आहार मांसाहार नहीं

❑ डॉ. चंचलमल चोरडिया

अज्ञान सभी दुःखों का मूल है। आज का मानव विवेकशून्य बन आँखें होते हुए भी ठोकरें खा रहा है तथा अमूल्य मानव जीवन को विषय कषायों की तृप्ति होने के क्षणिक आनन्द में व्यर्थ गँवा सच्चे सुख से वंचित हो रहा है और दीर्घकाल तक स्वस्थ रहने की कला भूल रहा है। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुलन आवश्यक होता है। जो आहार हमारी मानसिकता को बिगाड़ता है वह कैसे संतुलित आहार माना जा सकता है? यह सभी बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए चिन्तन का प्रश्न है। अतः निम्न बिन्दुओं पर चिंतन कर अपने आहार के बारे में सही फैसला करें।

मांसाहार हेतु मारे जानेवाले जानवरों के रोगों का प्रभाव–क्या जिन जानवरों का वध किया जाता है, उन पशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण होता है? कहीं वे असाध्य रोगों के पीड़ित तो नहीं होते? कहीं मांस के साथ जानवरों के रोग एवं मवाद तो मांसाहार करनेवालों के शरीर में प्रवेश नहीं करते? जहर उबालने से अमृत नहीं बन सकता।

जैसा खाये अन्न वैसा होये मन–क्या जानवर हँसते-हँसते अपनी इच्छा से मरता है? जिस निर्दयता, क्रूरता, बेरहमी से उनको मारा जाता है, उस वातावरण से उत्पन्न तनाव, भय, घबराहट, छटपटाहट आदि पशुओं के मांस को विषैला बना देते हैं, जो मांसाहार के साथ मांसाहारियों के शरीर में प्रवेश कर भविष्य में अनेक असाध्य रोगों का कारण बनते हैं, उनकी मानसिकता को विकृत बनाने में सहायक होते हैं। इसीलिए तो कहा है—जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन।

मांसाहार में रोग के कीटाणुओं की उत्पत्ति–चेतनाशील जीवों में मृत्यु के पश्चात् हानिकारक कीटाणुओं की उत्पत्ति अधिक एवं शीघ्र होती है। इसी कारण मृत्यु होने के पश्चात् मृतक को जल्दी से जल्दी जलाया अथवा दफनाया जाता है। शवयात्रा में भाग लेनेवाले अपने शरीर की शुद्धि हेतु प्रायः स्नान करते हैं। क्या पशुओं का वध करते ही मांस का भक्षण कर लिया जाता है? अगर नहीं तो क्या तब तक उसमें हानिकारक कीटाणु उत्पन्न हो आस-पास के वातावरण को दूषित नहीं करते? क्या मांसाहारियों का पेट मृत जानवारों का कब्रिस्तान है?

विपरीत गुणवाले रक्त का दुष्प्रभाव–रोगी को जब रक्त की आवश्यकता होती है तब डॉक्टर उस रोगी के ग्रुप का ही रक्त देते हैं? क्या मांसाहारी ऐसा दावा कर सकते हैं कि मांस के साथ जो खून का अंश पेट में जाता है, वह उनके ग्रुप का ही होता है? क्या विपरीत गुणवाला रक्त एवं मांस शरीर में हानि तो नहीं पहुँचायेगा?

मानव के लिए शाकाहार आवश्यक–क्या कोई व्यक्ति लम्बे समय तक के लिए सिर्फ अकेले मांसाहार पर निर्भर रह सकता है? नहीं! उसको शाकाहार तो करना ही पड़ता है। परन्तु अकेले शाकाहार पर व्यक्ति जीवनभर रह सकता है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य की शारीरिक रचना शाकाहार के लिए ही उपयुक्त है, मांसाहार के लिए नहीं। पेट्रोल की गाड़ी डीजल या केरोसिन से ज्यादा नहीं चल सकती। उसी प्रकार शाकाहारी संरचना वाला मानव यदि मांसाहार करेगा तो जल्दी रोगग्रस्त होगा।

मांसाहार और अध्यात्म–सभी धर्म प्रवर्तकों ने मांसाहार का निषेध किया। परन्तु उन्हीं के अनुयायी अपनी स्वाद लोलुप प्रवृत्ति के कारण अज्ञान, अविवेक एवं सम्यक् चिन्तन के अभाव में भ्रामक कुतर्कों का सहारा ले धर्म के नाम पर पशुबलि या कुर्बानी करें कितना विसंगत है? प्रायः किसी भी धार्मिक कार्य को धार्मिक स्थानों में करने की मनाही नहीं होती। यदि कुर्बानी में धर्म होता तो मस्जिदों में कुर्बानी का निषेध नहीं होता।

मांसाहार अज्ञानता का प्रतीक–उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मांसाहार हानिकारक है, दुःखदायी है, रोगों से प्रेम करानेवाला है, पाशविक वृत्तियाँ बढ़ानेवाला है। व्यक्ति को क्रूर, निर्दय, हृदयहीन, असंवेदनशील, असंयमी, पापी बनानेवाला है। अतः मानवीय आहार कैसे हो सकता है? स्वास्थ्य की दृष्टि से मांसाहार से लाभ कम हानियाँ ज्यादा हैं। मांसाहार घाटे का सौदा है। अतः जो मांसाहार की प्रेरणा देने वाले हैं वे उसके दुष्प्रभावों की अनदेखी कर जनसाधारण को गुमराह कर रहे हैं। सत्य की अपने अनुकूल व्याख्याएँ कर असत्य पोषण कर रहे हैं।

मांसाहार के प्रति स्वास्थ्य मंत्रालय की उपेक्षा–आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा मंत्रालय अपनी असजगता, अनैतिकता, अदूरदर्शिता, पूर्वाग्रह एवं अज्ञान के कारण उपर्युक्त तथ्यों पर ईमानदारीपूर्वक चिन्तन नहीं कर रहा है, अपितु मांसाहार को प्रोत्साहन देकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। परिणमास्वरूप रोग एवं रोगियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। राष्ट्र में प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण बिगड़ रहा है। अन्याय, अत्याचार बढ़ रहे हैं। भूकम्प एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएँ अधिक हो गयी हैं। स्वास्थ्य के नाम पर होनेवाला अरबों रुपयों का खर्च स्वास्थ्य सुधारने के बजाय बिगाड़ने में सहायक बन रहा है। ❑

जयप्रभा अस्पताल की वापसी के लिए आंदोलन

❑ प्रियदर्शी

बिहार सरकार ने एक अस्पताल को बेमौत मार दिया और उसकी जमीन पर एक उभरते निजी ब्रांड मेदान्ता अस्पताल का ई-शिलान्यास कर दिया। यह अस्पताल कोई सामान्य अस्पताल नहीं था। इसके साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा उनकी पत्नी, आजीवन सहकर्मी और प्रतिबद्ध समाजकर्मी प्रभावती का नाम जुड़ा था। 11 मई 1978 को तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने जयप्रकाश नारायण की उपस्थिति में इस अस्पताल का शिलान्यास किया था। इस अस्पताल के साथ एक सपना जुड़ा था। इसे मुख्यतः जनता के चन्दे से एक उन्नत कैन्सर और किडनी अस्पताल बनाना था।

कोई अच्छी पहल क्यों और कैसे असामयिक अन्त का शिकार होती है, इसे जानने-समझने के लिए इस अस्पताल से जुड़ी क्रमिक घटनाओं का सार जानना जरूरी है।

11 मई 1978 की शाम में 6 बजकर 16 मिनट पर अस्पताल का शिलान्यास हुआ था। इस अस्पताल के लिए राज्य सरकार ने 1 रुपये लेकर 7 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी थी। कहा जाता है कि बाद में इसके लिए 5 एकड़ जमीन और हाउसिंग बोर्ड का दो मकान खरीदा गया था। 1978 में इस अस्पताल के विकास के लिए 15 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था। भवन पर तीन से चार करोड़ रुपया लगना था। तीन वर्षों में यानी 1981 तक 500 बिछावनवाला अस्पताल बनाना था। पटना के इर्द-गिर्द अस्पताल का 5 केन्द्र बनाने की योजना थी। अस्पताल का बड़ा भवन तो नहीं बन सका, तीन-चार कमरों में अस्पताल का काम जरूर चलने लगा। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु के बाद उनके काम आनेवाली डायलिसिस मशीन यहाँ आ गयी। टाटा की ओर से एक उपकरण सुसज्जित एम्बुलेन्स इस अस्पताल को मिला। शास्त्रीनगर, बिहटा, सोनपुर जैसी जगहों पर अस्पताल का केन्द्र भी शुरू हुआ। अस्पताल में 24 कर्मी थे तथा वहाँ ब्लड बैंक भी चलता रहा है।

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 'जयप्रभा अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र' के मुख्य संरक्षक तथा रक्षामंत्री जगजीवन राम, स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण, नामी वकील नानी पालकीवाला एवं प्रकाश सिंह बादल संरक्षक थे। एस.एम.जोशी, गंगाशरण सिंह, रामनाथ गोयनका, डॉ. आर.वी.पी. सिन्हा, एस.पी.सिन्हा जयनारायण सहाय एवं शिवनाथ प्रसाद सात ट्रस्टी सदस्य थे। एस.एम.जोशी, चन्द्रशेखर, तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जाबिर हुसैन प्रबंध परिषद में थे।

कालक्रम में कई ट्रस्टियों की मृत्यु हो गयी। कुछ नये ट्रस्टी बने। जयप्रभा अस्पताल का विकास और विस्तार थमा रहा। 1989 आते-आते अस्पताल को चलाना अर्थाभाव के कारण कठिन होता गया। 18 अगस्त 1989 को चार ट्रस्टियों डॉ. सूर्यनन्दन प्रसाद, डॉ. सी.पी.ठाकुर, डॉ. डी.एन.पी. यादव और रामसुन्दर दास ने तत्कालीन बिहार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को पत्र लिखकर कहा कि कर्मचारियों को वेतन देना भी जयप्रभा अस्पताल के प्रबंधकों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति विवरण के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सरकार इसे अपने अधीन कर ले, ताकि अस्पताल अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। 10 अगस्त 1990 को बिहार सरकार ने यह आग्रह स्वीकार कर अस्पताल को 24 कर्मचारियों सहित अपने अधीन कर लिया। सरकारी बन जाने के बाद भी अस्पताल की हालत नहीं सुधरी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज और पटना के सांसद शत्रुध्न सिन्हा ने भी इसे बचाने-बनाने की कोशिश की। किन्तु ये कोशिशें भी लालू सरकार, राबड़ी सरकार और नीतीश-सुशील मोदी सरकार की कोशिशों जैसी ही बेअसर, बेकार रहीं।

10 अप्रैल 2011 को गांधी संग्रहालय के रजी अहमद और डॉ. नरेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में डॉ. राजीव रंजन प्रसाद, अख्तर हुसैन, अशोक प्रियदर्शी, कुमार अनुपम, मदनमोहन शर्मा, रघुपति, प्रमोद कुमार सिन्हा एवं सुनील कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन देकर इस अस्पताल को विकसित कर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का आग्रह किया। विकास पुरुष, अस्पतालों के सुधार का भी सेहरा अपने सर बाँधनेवाले नीतीश कुमार जयप्रभा अस्पताल का विकास नहीं कर सके। वे अपने प्रतिद्वन्द्वियों के ही निजीकरणवाले विकास की राह पर इस मामले में आगे बढ़े। और विधान सभा चुनाव की अधिसूचना के एक सप्ताह पहले 1 सितम्बर 2015 को इस अस्पताल की 7 एकड़ जमीन मेदान्ता ग्रुप को दे दी और मेदान्ता ग्रुप के मालिक डॉ. नरेश त्रेहान की उपस्थिति में अपने कार्यालय से ही नये निजी मेदान्ता अस्पताल का ई-शिलान्यास कर दिया।

नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद इस फैसले को बदलने, जयप्रभा अस्पताल की मूल जगह पर ही जयप्रभा अस्पताल को विकसित करने, मेदान्ता को अन्यत्र स्थान उपलब्ध कराने की माँग पर जनमत बनाने के लिए हस्ताक्षर के साथ अपील जारी की गयी। अपील पर डॉ.नरेन्द्र प्रसाद, कंचन बाला, कालिन्दी राय, प्रो.उमा सिन्हा, महेन्द्र नारायण कर्ण, रघुपति, शिवानन्द तिवारी, अख्तर हुसैन, पंचदेव, संजय

रघुबर, प्रदीप कुमार दीप, साह आनन्द कृष्ण, नन्दकिशोर सिंह, सत्यनारायण, मदन, शिवदयाल, सुनील कुमार सिन्हा, निर्मल चन्द्र, डॉ. प्यारेलाल, कुमार अनुपम, मनहर अतुल कृष्ण, सत्यनारायण दूसरे, नीरज कृष्ण, रंजीत कुमार, मदन मोहन शर्मा, राजेश कुमार, अशोक प्रियदर्शी, देवकुमार, प्रकाश नारायण, रंजीत कुमार, राजीव रंजन सिन्हा, आनन्द कृष्ण, च.अ.प्रियदर्शी, विजय बाबू, प्रभात कुमार, सियाराम सिंह, मनोरंजन, अरुण, महात्मा भाई, अशोक चंद्रवंशी, सौदागर, रमेश पंकज, प्रदीप प्रियदर्शी, घनश्याम शुक्ल, जमीर अन्सारी, पंकज जैसे विविध पृष्ठभूमि के लोगों के हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर के जरिये अपना समर्थन और संकल्प जाहिर करनेवाले जुड़ते ही जा रहे हैं।

इस अस्पताल को बचाने के लिए जयप्रभा अस्पताल बचाओ समिति भी इस अभियान को निरंतरता देने के लिए बनी है। 9 फरवरी 2016 को भारत के राष्ट्रपति को जयप्रभा अस्पताल बचाओ समिति की ओर से एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में इस अस्पताल के संदर्भ में आवश्यक स्पष्टीकरण लेकर सरकार का मार्गदर्शन करने का आग्रह किया गया है।

14 फरवरी 2016 को गांधी संग्रहालय, पटना में इसे लेकर एक दिवसीय समावेश संपन्न हुआ। श्रीमती कालिन्दी राय, सुनील कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार दीप की संयुक्त अध्यक्षता में चले इस कार्यक्रम का संचालन च.अ.प्रियदर्शी ने किया। प.चम्पारण, सारण, रोहतास, गया, औरंगाबाद, पूर्णिया, मधुबनी और पटना जिले से इसे समावेश में साथीगण जुटे थे। प्रो. उमा सिन्हा, कालिन्दी राय, डॉ.नरेन्द्र प्रसाद, पंकज, रघुपति, लक्ष्मण चौधरी, देव कुमार सिंह, नन्दकिशोर सिंह, पंचदेव, अरुण दास, प्रदीप प्रियदर्शी, रामदेव सिंह यादव, संजय रघुबर, नरेन्द्र राय, शिवदयाल, रामनरेश झा, अनुपम कुमार, प्यारेलाल, मनहर अतुल, अशोक चन्द्रवंशी, महेन्द्र यादव, प्रभात कुमार, अशोक मोती, मणिलाल, विजय कुमार आदि ने अपनी बात रखी। राष्ट्रपति, बिहार के मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद से प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलकर जयप्रभा अस्पताल के बारे में बात रखने का निर्णय लिया गया। मार्च के प्रारंभ में जयप्रभा अस्पताल के समक्ष धरना देने तथा अस्पताल की दीवाल पर जनता की नोटिस लगाने का भी फैसला हुआ। समावेश सम्पन्न होने के बाद प्रतिनिधियों ने गांधी संग्रहालय से जेपी प्रतिमा स्थल तक मार्च किया और एकजुटता जाहिर की।

तय निर्णय के अनुसार जयप्रभा बचाओ अस्पताल समिति का प्रतिनिधिमंडल लालू प्रसाद से मिल चुका है।

6 मार्च 2016 को जयप्रभा अस्पताल बचाओ समिति के बैनर तले कंकड़बाग, पटना स्थित जयप्रभा अस्पताल के सामने दिन भर का धरना और खुली सभा का कार्यक्रम चलता रहा। समिति की ओर से जनता का यह नोटिस जयप्रभा अस्पताल की दीवाल पर चिपकाया गया : ''मेदान्ता जयप्रभा अस्पताल की जमीन छोड़कर अन्यत्र किसी व्यावसायिक जमीन पर चला जाय। यहाँ आम नागरिकों की किडनी और कैंसर रोगों के लिए विशेषज्ञतापूर्ण अस्पताल और आयुर्वेद, होमियोपैथ, एलोपैथ का शोध संस्थान बनाने का संकल्प लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने जयप्रभा अस्पताल का शिलान्यास किया था और यही जनता का संकल्प है। जनतांत्रिक सरकार का काम इसमें सहयोग करने का होना चाहिए।''

धरना स्थल पर नारा लगाता रहा—''हमें वी आई पी लोगों का मेदान्ता नहीं—आम लोगों का अतिविशिष्ट जयप्रभा चाहिए।''

इस कार्यक्रम में पहले के कार्यक्रमों से जुटे अधिकांश लोग उपस्थित तो थे ही और लोग भी जुड़े। इस धरना के दौरान चले विमर्श में यह प्रस्ताव मान्य हुआ कि सारण, बेतिया, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद में भी जयप्रभा अस्पताल को बचाने के लिए कार्यक्रम चलाया जायेगा। ❑

शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी को श्रद्धांजलि साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद के विरोध में मौनव्रत

25 मार्च श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस है।

समाज में शांति रहे, धर्म के नाम पर रक्तपात न हो, इसके लिए सतत कार्यरत रहना, यही श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वर्तमान स्थिति में इसकी आज बड़ी आवश्यकता है। स्वातंत्र्य, समता और प्रजातंत्र, बंधुभाव, भाईचारा के बिना अपूर्ण है। महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को हीरो माननेवाले संगठनों देश में तानाशाही, साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद लाकर बंधुभाव को नष्ट कर रहे हैं और द्वेष भावना प्रसारित कर रहे हैं।

संविधान और प्रजातंत्र बंधु भावना से अबाधित रहे इसके लिए 25 मार्च 2016 के दिन शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी का स्मरण करके साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद के विरोध में जयप्रकाश नारायण सर्वांगीण विकास संस्था का दीनदयाल नगर, भुसावल स्थित कार्यालय में सायं 4 से 6 बजे तक महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निमूर्लन समिति, भुसावल के प्रमुख कार्यकर्तागण चन्द्रकान्त चौधरी, अरुण दामोदर, सागर बहिरुणे, डॉ.सोपान बोराटे, दीपक काठे, श्यामकुमार वासकी, किरण मिस्तरी, अंजना निरभवणे, भगवान निरभवणे, मनोजकुमार नंदागवली, शशिकांत रायमले आदि मौन आन्दोलन करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश में, समाज में शांति बनी रहे, इसकी कामना की।

चंद्रकांत जनार्धन चौधरी
मंत्री, म.प्र.सर्वोदय मंडल

सागर सुधाकर बहिरुणे
कार्याध्यक्ष,
अनिस, भुसावल

सिंगरौली क्षेत्र में प्रदूषण का स्वास्थ्य पर असरः एक रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित सिंगरौली क्षेत्र में गोविन्द वल्लभ पंत सागर के आस-पास कई उद्योग हैं जो क्षेत्र में कोयला उत्खनन तथा उस पर निर्भर ताप विद्युत गृहों से जुड़े हैं। इन उद्योगों में प्रमुख हैं विंध्याचल, रिहंद, सिंगरौली, अनपरा, ओबरा और रेणुसागर ताप विद्युत गृह; हिंडालको, कनोरिया और कार्बन हाई-टेक उद्योग समूह; मोहर बेसिन में 14 कोयले खदान तथा डाला सीमेंट और उसके नजदीक अनेक पत्थर खदान और क्रशर।

इन तमाम औद्योगिक गतिविधियों के कारण निश्चित है कि क्षेत्र में पिछले 30-40 वर्षों में व्यापक रूप से प्रदूषण भी फैला है। प्रदूषणकारी तत्वों में धूल और धुआँ तो है ही; साथ में सल्फर डाईआक्साइड और नाइट्रोजन डाईआक्साइड जैसे हानिकारक गैस तथा मर्करी (पारा) और फ्लोराइड के अति जहरीले कण और गैस पाये जाते हैं। सभी तत्वों की मिलावट का गहरा असर शरीर पर भी पड़ता है। जैसे कि धूल और गैसों से फेफड़ों को नुकसान पहुँचता है, मर्करी की वजह से हाथ में कम्पन और मानसिक तनाव जैसे लक्षण दिखते हैं तथा फ्लोराइड से हड्डियों और दाँतों में विकृति पैदा हो जाती है। इन सभी तत्वों का मिला-जुला असर प्रजनन क्रिया पर भी पड़ सकता है।

बनवासी सेवा आश्रम द्वारा सोनभद्र जिले में कई वर्षों से प्रदूषण मापन का काम तो चल ही रहा था, सन् 2012 में 22 गाँवों में 1184 परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ है, जिसमें वजन-कद अनुपात, हाथों में ताकत, स्वशन-शक्ति और प्रजनन-बीमारियों की जाँच की गयी। शोध से पाये गये तथ्यों के अनुसार, यह समझ में आया कि कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ सबसे अधिक प्रदूषण का प्रभाव दिखता है। यह वे गाँव हैं जो ओबरा-डाला या रिहंद ताप विद्युत गृह के पूरब में स्थित हैं। इनमें चेतवा, नवाटोला, बिछियारी, नाधिरा, करहैया, दहकडुण्डी और करियेल शामिल हैं। इस क्षेत्र में 59% महिलाओं और 28% पुरुषों की स्वशन-शक्ति में 60-80% की गिरावट आयी थी।

दूसरे चरण में वे गाँव थे जो उद्योगों से कुछ दूरी पर स्थित थे और वायु की प्रमुख दिशा से कुछ हट कर थे—जैसे बकुलिया, सतबहिनी, मुनगाडीह और दोमरहर, जिसमें 52% महिलाओं और 24% पुरुषों के फेफड़ों की कमजोरी थी। तीसरे चरण में कटौन्धी, पुरणखरायी, केवल, नगवा, काडूँगा और फरिपान जैसे गाँव थे जो उद्योगों से और दूरी पर स्थित थे। इनमें 48% महिलाओं और 23% पुरुषों को साँस की तकलीफ थी और शायद सबसे कम प्रभावित थे। चौथे चरण के गाँव थे जो औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर में स्थित थे—पचपेडिया, जोरबा, गुलालडीह और नवटोलिया जहाँ मात्र 39% महिलाओं में स्वशन-क्रिया में कमी पायी गयी, परन्तु 32% पुरुषों में यह लक्षण थे। शायद इसलिए कि यहाँ से काफी मर्द कोयला खदानों में काम करने जाते हैं।

इसी प्रकार पहली श्रेणी के गाँवों में (चेतवा, नवाटोला, बिछियारी, नाधिरा, करहैया, दहकडुण्डी और करियेल) प्रति महिला में गर्भपात की मात्रा 0.56 थी; जबकि दूसरी श्रेणी (बकुलिया, सतबहिनी, मुनगाडीह और दोमरहर) में यह मात्रा घट कर 0.46 हो गयी तथा तीसरी श्रेणी (कटौन्धी, पुरणखरायी, केवल, नगवा, कोडँगा और फरिपान) में और घट कर यह मात्रा 0.43 हो गयी। चौथी श्रेणी में किसी कारणवश मात्रा पुनः बढ़कर 0.48 हो गयी। खासतौर से करहिया, नगवा, कटौन्धी, जोरबा, दहकुदंडी और चेतवा में गर्भपात की मात्रा अधिकाधिक थी और इन सभी गाँवों में मर्करी (पारा) की मात्रा भी अधिक पायी गयी थी—चाहे वे वायु में हों या भू-जल में।

पारा से प्रभावित व्यक्ति के मसूड़ों में एक नीली रेखा दिखायी देती है और साथ ही हाथों में कम्पन के चिह्न भी होते हैं। परीक्षण में पाया गया कि पहली और दूसरी श्रेणी के गाँवों में यह चिह्न कुछ कम थे, लेकिन तीसरी श्रेणी (कटौन्धी, पुरणखरायी, केवल, नगवा, कोडूँगा और फरिपान) में सबसे अधिक थे (करीब 60% व्यक्तियों में नीली रेखा और 38% में कम्पन पाये गये)। यही प्रक्रिया फ्लोराइड से प्रभावित पीले दाँतों में भी देखा गया—यानी की तीसरी श्रेणी के गाँवों में लगभग 60% व्यक्तियों में यह लक्षण पाये गये। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि मर्करी और फ्लोराइड के कण उद्योगों के नजदीक पहुँचने के बजाय काफी दूर तक हवा में फैल जाते हैं और उनका प्रभाव दूरांचल में अधिक होता है।

इस जाँच से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

1. सिंगरौली क्षेत्र में व्यापक प्रदूषण दूरदराज के गाँवों को भी प्रभावित कर रहा है।

2. प्रदूषणकारी तत्वों में मर्करी और फ्लोराइड जैसे अत्यंत विषैले कण मौजूद हैं।

3. उद्योगों के निकटवर्ती क्षेत्रों में फेफड़े कमजोर हो गये हैं और गर्भपात की दर बढ़ी है।

4. परन्तु 20-30 कि.मी. दूर के इलाकों में भी मर्करी और फ्लोराइड का असर दिखता है।

5. क्षेत्र में और अधिक ताप विद्युत पैदा करने के पहले पर्यावरणीय और सामाजिक दुष्प्रभावों का सही आकलन अति आवश्यक है। (सर्व सेवा संघ, सेवाग्राम से प्रेषित) ❑

अदरक एवं उसके औषधीय गुण

❑ डॉ. योगेन्द्र यादव

खाद्य वस्तु अदरक सम्पूर्ण भारत के हर घर में पायी जाती है। कहीं यह चाय के साथ और कहीं यह सब्जी के मसाले के रूप में, कहीं आचार के रूप में, कहीं चटनी के रूप में उपयोग में लायी जाती है। दरअसल यह एक औषधी है, जिसका थोड़ा-बहुत ज्ञान इस देश के हर नागरिक को होता है। इसी कारण यह घर में उपलब्ध होती है। यदि हम तत्त्वों के आधार पर इसका विघटन करें तो इसमें 80.9% पानी, 2.3% प्रोटीन, 0.9% वसा, 1.2% खनिज, 2.4% रेशा, 12.3% कारबोहाईड्रेट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 20 मिलीग्राम कैल्शियम, 60 मिलीग्राम फास्फोरस, 2.6 मिलीग्राम आयरन, 6 मिलीग्राम विटामिन सी और अल्प मात्रा में विटामिन बी काम्प्लेक्स पायी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार अदरक गुरु, तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य, अग्निदीपक, कटु रस युक्त, मलभेदक, रक्ष, वायु, वात और कफनाशक होता है। इसी कारण अदरक का सेवन करनेवाले का शरीर चुस्त होता है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। पेट साफ होता है। दस्त को गाढ़ा बनाती है। इसीलिए इसे अतिसार की रामबाण औषधी माना गया है। इसे चूसने से पाचन क्रिया सक्रिय होती है। अब हम इसके औषधी गुणों का वर्णन करेंगे।

एसिडिटी में लाभदायक—अदरक को यदि कुछ अन्य आयुर्वेदिक गुणवाले खाद्य पदार्थों के साथ मिला दिया जाय, तो यह एसिडिटी में बहुत ही लाभकारी हो सकती है। अदरक के 6 ग्राम रस को प्याज के 12 ग्राम रस के साथ मिलाकर उसमें एक रत्ती हींग और थोड़ा सा नमक मिलाकर बने पेय पदार्थ को पानी के साथ पीने पर अपच से उत्पन्न एसिडिटी दूर हो जाती है। जब तक लाभ न हो जाये, हर दो घंटे पर यह पेय पीते रहना चाहिए।

अनार के रस और अदरक के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर दिन में 4-5 बार देना चाहिए, इससे लाभ होता है।

तुलसी के पत्तों के रस को निकाल कर अदरक के रस के साथ मिलाकर उसमें कुछ बूँदें नीबू की निचोड़ कर दें, तो एसिडिटी में लाभ होता है।

अपच में लाभदायक—एक किलो चीनी की चासनी में 250 ग्राम अदरक का रस डालकर गर्म करने के बाद बने इस अदरक के शरबत को यदि आधे कप पानी में दो चम्मच डालकर दिन में तीन-चार बार पीयें, तो अपच दूर हो जाता है। अदरक का 12 ग्राम रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटने से भी अपच दूर हो जाता है। यदि खट्टी डकारें आ रही हों तो वह भी आना बंद हो जाती है।

भूख न लगने वाले रोगियों के लिए लाभदायक—जिन रोगियों को भूख नहीं लगती, उनके लिए अदरक रामबाण औषधी का काम करती है, धनिये की पाती के साथ अदरक की चटनी बनायें और फिर उसमें नीबू निचोड़ कर खायें, तो भोजन से अरुचि दूर हो जाती है और भूख लगने लगती है। अदरक के बारीक टुकड़ों पर काला नमक छिड़क कर भोजन के पूर्व चूसने से भी भूख लगने लगती है। अदरक, नीबू और टमाटर का रस मिलाकर पीने से भी भूख लगने लगती है।

बदहजमी में लाभदायक—अदरक और नीबू के एक-एक चम्मच रस को मिलाकर सोडे के साथ पीने से बदहजमी तुरंत दूर हो जाती है। अदरक के रस में काला नमक मिलाकर चूसने से भी कुछ दिन में बदहजमी दूर हो जाती है। पुदीने की चटनी में अदरक के टुकड़े पीसकर काली मिर्च एवं स्वादानुसार नमक मिलाकर भोजन के साथ खाने से बदहजमी दूर हो जाती है।

मन्दाग्नि में लाभदायक—अदरक एवं तुलसी के 20-20 ग्राम रस को मिलाकर दिन में दो बार पीने से मन्दाग्नि दूर हो जाती है। अदरक के रस में भीगी हुई अजवाइन को छाया में सुखा कर सुबह-शाम गर्म पानी से खाने पर मन्दाग्नि दूर हो जाती है। अदरक में सेंधा नमक मिलाकर चूसने से भी मन्दाग्नि दूर हो जाती है।

अधिक प्यास में लाभदायक—कुछ लोगों को अधिक प्यास की शिकायत होती है। चाहे जितनी पानी पीयें, पर उनकी प्यास नहीं बुझती है। ऐसे रोगियों के लिए अदरक बहुत ही लाभदायक होती है। ऐसे रोगियों को अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर पानी के साथ पीना चाहिए, इससे उनकी यह बीमारी एक हफ्ते में ठीक हो जाती है।

आँव में लाभदायक—जिन रोगियों को आँव की शिकायत रहती है, उनके लिए अदरक बहुत ही लाभदायक होती है। तीन भाग ठीक से कुचला हुआ अदरक और एक भाग लौंग को मिलाकर गोलियाँ बना लें, दिन में एक-एक गोली शहद के साथ लें, इससे आँव की शिकायत दूर हो जाती है।

दृष्टि दोष में सहायक—रात को सोते समय आँख में अदरक के रस की दो-दो बूँदें डालने से दृष्टि मंदता, जाले, मोतियाबिंद एवं आँखों का दर्द दूर हो जाता है। अदरक, नीबू, सफेद प्याज का रस बराबर-बराबर मात्रा में मिलाकर उसे 12 ग्राम गुलब जल एवं 9 ग्राम शहद में मिलाकर छान लें, फिर

सुबह-शाम दो-दो बूँद आँखों में डालें, इसे लगातार डालते रहने से मोतियाबिंद तक दूर हो जाता है।

हाई ब्लड प्रेशर में लाभदायक—हाई ब्लड प्रेशर आजकल एक आम बीमारी हो गयी है। हर दूसरा व्यक्ति इससे पीड़ित है। ऐसे रोगियों के लिए अदरक बहुत ही लाभदायक हो सकती है। अदरक के रस को शहद एवं जीरा पाउडर को एक-एक चम्मच के हिसाब से मिला लें; इस रस को दिन में दो बार लें, ब्लड प्रेशर नार्मल हो जायेगा।

अपेंडिक्स की बीमारी में लाभदायक—अदरक अपेंडिक्स की बीमारी में भी लाभदायक होता है। 100 ग्राम लाल टमाटर पर सेंधा नमक और अदरक का रस डालकर भोजन से पहले खाने से अपेंडिक्स रोगियों को लाभ मिलता है। इस प्रकार के रोगियों को खाने में रोटी नहीं खाना चाहिए।

कमर दर्द में लाभदायक—आजकल बूढ़े ही नहीं, नौजवानों को भी कमर दर्द की शिकायत बनी रहती है। ऐसे रोगियों के लिए अदरक बहुत ही फायदेमंद होती है। अदरक के रस को घी या शहद में मिलाकर भूखे पेट पीने से कमर दर्द में आराम मिलता है, शूल आदि में भी यह लाभदायक होता है। अदरक का पेस्ट पीठ दर्दवाले भाग पर लगाने से आराम मिलता है। अलसी के 250 ग्राम तेल में 15 ग्राम पीसी सोंठ और चार चम्मच नमक मिलाकर गरम करें, जब तेल में धुआँ उठने लगे तो उसे उतार दें। इस तेल की मालिश कमरदर्द, पीठ दर्द में लाभदायी होता है।

कान के रोग में लाभदायक—कान के रोग में अदरक बहुत ही लाभदायक है। अदरक रस छानकर हल्का गरम करके उसकी पाँच-छः बूँदें डालने पर कान का दर्द समाप्त हो जाता है। अदरक के रस में शहद और नमक मिलाकर उसे सहने योग्य गरम कर कान में डालने से आराम मिलता है। सोठ और अफीम को तेल में पकायें और उस तेल को कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है।

खाँसी-जुकाम में लाभदायक—खाँसी एक ऐसी बीमारी है, जो साल में दो-तीन बार हर किसी को अपना शिकार बना लेती है। खाँसी के रोग में अदरक बहुत ही लाभदायक होती है। अदरक के रस में पान का रस और शहद तीनों बराबर मात्रा में मिलाकर दिन में चार बार 3-3 ग्राम चढ़ाने से खाँसी में तुरंत राहत मिलती है। सोठ, पीपल और काली मिर्च बराबर मात्रा में लेकर उसका चूर्ण बना लें और उसे दिन में चार बार शहद के साथ चाटने से आराम मिलता है। सोंठ में शहद मिलाकर खाने से आराम मिलता है।

गैस रोग में लाभदायक—अदरक और नीबू की चटनी बनायें, उसमें स्वाद के अनुसार काला नमक मिलायें, खाने के साथ चटनी के रूप में उसका उपयोग करें, इससे बहुत आराम मिलता है। यदि वायु के कारण दर्द हो तो सरसों के तेल में पीसकर सोंठ मिलायी जाय और उस तेल से मालिश की जाय, तो आराम मिलता है। अदरक, पुदीना, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा मिलाकर पीने से गैस की परेशानी से छुटकारा मिलता है।

गठिया बीमारी में लाभदायक—बूढ़ापे का एक आम रोग गठिया की असहनीय परेशानी से अदरक छुटकारा दिला सकती है, यदि इसका उपयोग आयुर्वेद में निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाय। अदरक को छील कर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करें, उसमें उसी मात्रा में मेथी दाना एवं लहसुन की कलियाँ मिला लें। फिर उसे सरसों के तेल में उबाल लें। ठंडा होने पर उसे छानकर एक शीशी में भर लें। जोड़ों पर जहाँ दर्द होता हो, वहाँ मालिश करें और मालिश के उपरांत उसके ऊपर गर्म पट्टी बाँध लें, बहुत आराम मिलता है। सोंठ और देवदारु को गुड में मिलाकर उसकी गोली बना लें। नियमित रूप से उसका सेवन करें, इससे गठिया के दर्द में आराम मिलता है। अदरक के 200 ग्राम रस को 100 ग्राम तिल्ली के तेल में पकायें। इसे गठिया के दर्द के स्थान पर लगाने से आराम मिलता है।

दाँत के रोग में लाभदायक—यदि दन्त रोग के कारण मसूढ़े सूज गये हों तो एक चम्मच अदरक के रस को एक कप गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर दिन में तीन-चार बार कुल्ला करने से आराम मिलता है। दाँत दर्द में अदरक के टूकड़े काटकर उस पर नमक बुरक कर दर्दवाले स्थान के नीचे दबाने से दर्द ठीक हो जाता है।

पुरुषों के रोग में लाभदायक—अदरक का रस 6 ग्राम, 8 ग्राम प्याज का रस, 5 ग्राम शहद और 3 ग्राम गाय का घी मिलाकर चाटने से स्वप्नदोष नहीं होता। बचपन की बुरी आदतों के कारण आयी कमजोरियों वाले रोगी को भोजन में नियमित रूप से अदरक का सेवन करना चाहिए। इससे उसकी कमजोरी दूर हो जायेगी। जिनको शीघ्र पतन की बीमारी हो, वे 6 ग्राम बादाम गिरी, 6 ग्राम काली मिर्च, 2 ग्राम सोंठ और इच्छानुसार मिश्री मिलाकर चूर्ण बना लें, शाम को सोने से पहले हल्का गुनगुने दूध के साथ इसे खायें। शीघ्रपतन की बीमारी से निजात मिलेगी।

स्त्रीरोग में लाभदायक—मासिक धर्म अनियमित होने पर अदरक को कूटकर काढ़ा बना लें, गर्म पानी के साथ उसमें शहद मिलाकर सेवन करें, तुरंत लाभ मिलता है। यदि मासिक धर्म में जांघों में पीड़ा हो तो 6 ग्राम नीम की पत्ती का रस, 12 ग्राम अदरक के रस को पानी के साथ सेवन करने पर लाभ मिलता है। यदि किसी भी कारण से योनि में पीड़ा होती हो तो 25 ग्राम सोंठ का चूर्ण फाँककर गर्म दूध पी लें, दर्द से तुरंत निजात मिलेगी। प्रसव के कारण योनि का दर्द दूर करने के लिए इन्द्रायण की जड़ और सोंठ—इन दोनों को बकरी के घी में

पीस कार योनि में लेप करने से योनि का दर्द तुरंत दूर हो जाता है। पिसी सोंठ को बकरी के गर्म दूध के साथ खाने से गर्भिणी स्त्री का बुखार दूर हो जाता है। प्रसव का दर्द शुरू होने पर 10 ग्राम सोंठ में 50 ग्राम शहद मिलाकर चटाने से प्रसव असानी से हो जाता है।

बच्चों के रोग में लाभदायक—बच्चों को खाँसी होने पर अदरक और तुलसी के रस को गर्म करके ठंडा होने पर शहद में मिलाकर चटायें, इससे आराम मिलता है। सोंठ को घिसकर दूध के साथ पिलाने से कफ निकल जाता है। एक ग्राम अदरक के रस में नमक मिलाकर पिलाने से खाँसी मिट जाती है। छोटे बच्चे को पाँच से दस बूँद अदरक का रस पिलाने से हरे दस्त आना बंद हो जाते हैं। सोंठ और नीम गिलोय के चूर्ण को सुंघाने से हिचकी बंद हो जाती है। सोंठ और गिलोय का काढ़ा पिलाने से बच्चों का बुखार उतर जाता है। अदरक का रस और तुलसी का रस मिलाकर हल्का गर्म करके फिर ठंडा करके शहद के साथ देने से बच्चों की कब्जियत, अजीर्ण, वमन, हिचकी, श्वास, खाँसी, ज्वर और सर्दी में आराम मिलता है। ❑

गांधी और हिंसक प्रतिकार

मैं बहुत नम्रतापूर्वक अपने गुरु के लिए इतना ही दावा करूँगा कि गीता के उपदेश के निरंतर आचरण से उन्होंने वह आसक्ति एक हद तक सिद्ध कर ली है, इसलिए यद्यपि वे ब्रह्मचर्य का झंडा हमेशा बुलन्द रखते हैं, तो भी पवित्र वैवाहिक जीवन को आशीर्वाद दे सकते हैं और यद्यपि वे विचार, कथनी और करनी में अहिंसा टससे मस नहीं होंगे, फिर भी अत्याचार के नीचे कुचले जानेवाले के हिंसक प्रतिकार को वे आशीर्वाद देंगे।

21.07.1940 —महादेव देसाई

(श्री श्रीनिवास शास्त्री के पत्र से)

सर्व सेवा संघ परिसर में निर्मला देशपांडे की पुण्यतिथि मनायी गयी

मजदूर एवं महाराष्ट्र दिवस के ही दिन सर्व सेवा संघ की पहली सहमंत्री एवं बनारस परिसर के प्रकाशन में सहयोग कर चुकी निर्मला देशपांडे की प्रकाशन भवन में पुण्यतिथि मनायी गयी, इस सभा में शरीक हुए प्रकाशन विभाग एवं परिसर निवासियों को स्व. निर्मला देशपांडे के जीवन एवं कार्यों के बारे में बताया गया। इसके पश्चात दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी और सर्व सेवा संघ में उनके द्वारा शुरू किये गये कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। इस सभा में मुख्य रूप से बनारस परिसर संयोजक शिवविजय भाई, प्रकाशन संयोजक अरविन्द अंजुम, लेखाकार सुरेन्द्र सिंह, खजांची आलोक एवं सर्वोदय जगत के सम्पादक डॉ. योगेन्द्र यादव सहित अन्य सहयोगियों ने भाग लिया।

महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती

2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के सन्दर्भ में 5 अप्रैल को दिल्ली में सेवाग्राम प्रतिष्ठान आश्रम की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वोदय एवं खादी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी भाग लिया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस जयंती को भव्य बनाने के लिए सेवाग्राम आश्रम में दो दिवसीय संगोष्ठी बुलायी गयी है। जिसकी तिथि की घोषणा सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान की ओर से शीघ्र की जायेगी।

तपते बुन्देलखंड में जल सत्याग्रह

भयानक सूखे की मार झेल रहे बुन्देलखण्ड के सातों जिले ललितपुर, झाँसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बाँदा की हालत बहुत खराब है। जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। पशुधन-जनधन की हर दिन हानि हो रही है। इस प्राकृतिक आपदा से जनधन और पशुधन को बचाने के सरकारी प्रयास शुरू हो गये हैं। किन्तु यदि समाज इस आपदा के विरूद्ध खड़ा नहीं होगा, तो इससे उबर पाना मुश्किल है। जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पानी पर काम करने के लिए भरोसेमंद राजेन्द्र सिंह ने महोबा स्थित मदन सागर पहुँचे। 27 अप्रैल, 2016 को उन्होंने इसी स्थान से जल सत्याग्रह की शुरुआत की। उपस्थित जनसमूह ने वर्षा जल के संचय का संकल्प लिया। इस अवसर पर चित्रकूट मंडल के आयुक्त सहित तमाम अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके अलावा पूर्व मंत्री बादशाह सिंह, रामधीरज भाई, शिव विजय भाई सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। यह जानकारी सर्व सेवा संघ परिसर के संयोजक शिव विजय भाई ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदान की।

उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल की बैठक सम्पन्न

27-28 अप्रैल, 2016 को उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल की बैठक वनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर, सोनभद्र में सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव विद्रोही की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित सभी लोकसेवकों ने एक स्वर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा शराब सस्ती किये जाने की भर्त्सना की। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार की तरह यहाँ भी पूर्ण शराबबंदी लागू हो, इसके लिए जन-जागरण किया जायेगा।

व्यवस्था-परिवर्तन क्यों, क्या और कैसे?

सब्सीडी का हमारा पैसा हमें नगद दे दो

साथियो!

यह हम सबको मालूम है कि हमारे देश की राजनीति, अर्थनीति एवं शिक्षा-संस्कृति पर नेता-अफसर गठजोड़ का वर्चस्व कायम है। संविधान इनके हाथों का खिलौना है। हमारे पक्ष में न न्याय है, न कानून है, न विधायक–सांसद हैं, न अफसर–नौकर हैं। इसको बदले बिना हमारा जनतंत्र लूला लंगड़ा है। हमारे मौलिक अधिकार केवल किताबों की बात है। इस व्यवस्था से हम रोज टकराते हैं परन्तु यह व्यवस्था बहरी और अंधी है। ऐसा लगता है कि हम भारत की 90% जनता के विरूद्ध एक गहरा एवं व्यापक षडयंत्र कायम है। इसलिए इस व्यवस्था को बदले बिना कोई दूसरा चारा नहीं है।

प्रश्न है कि बदलाव का ताना-बाना क्या हो? व्यवस्था का बहष्किार कर भी हम चल नहीं सकते। रोजगार, नौकरी, उत्पादन, पूँजी-निर्माण, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क, आवास आदि पाने के लिए इस व्यवस्था को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। यह आज हमें उपलब्ध नहीं है। आज भारत का नागरिक अपनी क्षमता और अस्मिता खोता हुआ बेबस, लाचार इंसान की तरह ठोकरें खाता फिर रहा है। इसे अपनी जमीन देनी है।

बदलाव कैसे हो? बदलाव जनता करती है, जनता को विचार चाहिए, तथ्य चाहिए, सत्य का दर्शन चाहिए। वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था के अलमबरदारों ने कल्याणकारी राज्य की झूठी घोषणा कर रखी है। झूठे प्रचार तंत्र का पहाड़ खड़ा कर रखा है। इसके सामने जनता की अनेक लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमलोगों ने भी इनकी झूठ को पकड़ा है और केवल दो मुद्दों के जरिये हम इस भ्रष्ट व्यवस्था की नकेल पकड़ना चाहते हैं और बदलाव की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

अप्रत्यक्ष करों से भारत सरकार अरबों रुपये वसूल करती है परन्तु ये कर जनता की झुकी हुई पीठ को लगातार झुकाने का काम कर रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। महँगाई, भ्रष्टाचार, लूट और अफसर-नेताओं के ऐश का बड़ा आधार यही अप्रत्यक्ष कर है। यह महँगाई का सीधा और सबसे बड़ा कारण है। हम कर भी देते हैं और महँगाई की मार भी झेलते हैं। इसलिए हमारी माँग है कि केवल प्रत्यक्ष कर ही लिये जायें।

दूसरा मुद्दा सब्सीडी (Subsidy) अनुदान का है। सरकार सब्सीडी द्वारा कम मूल्य पर किरासन तेल, खाद, बीज, डीजल, रसोई गैस आदि दे रही है परन्तु भयावह सच यह है कि भारत सरकार सब्सीडी के लिए अपनी बजट में जो साढ़े चार लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखती है, वह पैसा स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शब्दों में कहें तो जनता के बीच में केवल 15% ही बँटता है और 85% बिचौलिये खा जाते हैं और काला धन इकट्ठा हो जाता है।

हमारी माँग है कि सब्सीडी का यह पैसा जो भारत की आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष रुपया 4500/- के हिसाब से पड़ते हैं उसे हमें सीधे दे दिया जाये। पाँच व्यक्तियों के परिवार के लिए यह पैसा रुपया 22500/- होगा। रुपया 22500/- से हम गरीबी से निपट लेंगे। व्यवस्था-परिवर्तन की यह पहली सीढ़ी है जिसके सहारे हमारे सारे सवाल हल होने प्रारम्भ होंगे। यह रुपया 4500/- प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष हर भारतीय का जीवन भत्ता है जो भारत सरकार दे रही है लेकिन हमारे पास पहुँच नहीं रहा है।

निवेदक

व्यवस्था परिवर्तन अभियान,

धनबाद महिला मंच, लोक निगरानी समिति

अखिल भारतीय संघर्ष समिति

भूदान किसानों एवं भूमिहीनों का सम्मेलन

18 अप्रैल, 2016 को भू-क्रान्ति दिवस के अवसर पर झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर भूदान किसानों एवं भूमिहीनों का सम्मेलन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में करीब 80 प्रतिशत महिलाएँ थीं। सम्मेलन को सर्व सेवा संघ के राष्ट्री अध्यक्ष महादेव विद्रोही, मंत्री चंदन पाल, प्रस्तावित झारखंड भूदान समिति के अध्यक्ष मधुकर, विश्वनाथ आजाद, प्रखंड विकास अधिकारी एवं थानाध्यक्ष ने संबोधित किया। ध्यातव्य हो कि झारखंड में सर्वाधिक भूदान मिला था। दुर्भाग्यवश अभी भी करीब दस लाख एकड़ भूमि का वितरण बाकी है। सम्मेलन का आयोजन झारखंड भूदान किसान संघ एवं एकल महिला संगठन की ओर से किया गया था।

ग्रामस्वराज्य केंद्र द्वारा आयोजित उपवास आंदोलन सम्पन्न

गांधीनगर, गुजरात के तालुका दरगाँव की ग्रामस्वराज समिति ने 1-3 अप्रैल, 2016 तक उपवास एवं आन्दोलन किया। इसमें 80 गाँवों में काम कर रही ग्रामस्वराज समितियों ने भाग लिया। गुजरात सरकार द्वारा इस समय गोचर जमीन को उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव में दिया जा रहा है, जिसके कारण दुधारू जानवरों के चरने के लिए कोई जगह नहीं बच रही है। गाँववालों के विरोध करने पर सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है। आन्दोलन करनेवालों को झूठी धाराओं में फँसाकर जेल में ठूँस रही है। सरकार की इन्हीं दमनकारी नीतियों के खिलाफ यह उपवास आन्दोलन किया गया था।

जंतर-मंतर पर सर्व सेवा संघ द्वारा आयोजित उपवास सम्पन्न

5-6 अप्रैल, 2016 को जंतर-मंतर पर 36 घंटे का उपवास अनशन किया गया। अनशन का स्थान पहले राजघाट पर निर्धारित था, किन्तु ऐन वक्त पर प्रशासन ने वहाँ अनशन करने की अनुमति नहीं प्रदान की। इस कारण यह अनशन जंतर-मंतर पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वोदय कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त लोक समिति, जे.एन.यू. के छात्र, खुदाई खिदमतगार के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पाटिलजी, सुप्रीम कोर्ट के वकील अरुण माझी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता, सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जयवंत मटकर, सर्व सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष सुगन बरंठ, किसान अधिकार मंच के संयोजक अविनाश काकडे, राजस्थान सर्वोदय मंडल की अध्यक्ष श्रीमती आशा बोथरा, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष डॉ.मधुसूदन, बिहार सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष त्रिभुवन नारायण, दिल्ली सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष अशोक शरण, हरियाणा सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष चौ.राम सिंह, पश्चिम बंगाल सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष नारायण भाई, उड़ीसा सर्वोदय मंडल के मंत्री रमाकांत मंडल, छत्तीसगढ़ के गांधीनिष्ठ लोक गायक निजामुद्दीन तिगाला, महावीर त्यागी, सर्व सेवा संघ के ट्रस्टी डॉ. रामजी सिंह, श्रीमती शशि त्यागी और रामधीरज भाई सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

पिछले दिनों देश के अनेक भागों में हुई कुछ अप्रिय घटनाओं पर सर्व सेवा संघ अत्यन्त चिन्तित है। अतिवादी एवं अनुत्तरदायी आलोचनाओं, साम्प्रदायिकता का जहर फैलाना, शिक्षण संस्थाओं की स्वयत्तता को नियंत्रित करने का प्रयत्न, हैदराबाद केन्द्रीय विश्व-विद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या तथा जेएनयू परिसर में हुए उपद्रव जैसी घटनाओं से देश के शांतिप्रिय नागरिक स्तब्ध एवं हतप्रभ हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रांगण में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की बर्बादी की कामना के अशोभनीय नारे लगाना जितना निन्दनीय है, उतना ही देशभक्ति की परिभाषा को संकुचित कर देश के लोकतंत्र समर्थक लोगों को कठघरे में खड़ा करना भी दुखद व चिन्ताजनक है।

देशभक्ति की क्षुद्र मानसिकता से पोषित विचारधारा के नाम पर बन रहे इस अराजक माहौल से नागरिकों की अभिव्यकित की स्वतंत्रता पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है? लोकतंत्र की जड़ों को हिला देनेवाले इन कृत्यों से स्वतंत्रचेता नागरिक यह सोचने के लिए विवश हो गया है कि पता नहीं उसका बोला हुआ कौन-सा शब्द कब 'राष्ट्रविरोधी' घोषित कर दिया जायेगा। अंग्रेजों द्वारा अपने औपनिवेशिक हित की रक्षा तथा भारतवासियों के दमन के लिए बनाये गये देशद्रोह का कानून आज स्वतंत्र भारत में भी जारी है, जिसका उपयोग सत्ताधारी दल अपने विरोधियों के लिए निर्बाध रूप से करते हैं।

इस पृष्ठभूमि में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का यह कथन समीचीन है—

''.....स्वतंत्रता मेरे जीवन का एक आकाशदीप बनी, जो आज तक वैसी ही बनी हुई है। कालांतर में यह स्वतंत्रता अपने देश की स्वतंत्रता मात्र के भाव का अतिक्रमण करके मनुष्य की सब जगह और सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति ही नहीं, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर मानवीय व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता की अर्थदात्री बन गयी।

स्वतंत्रता मेरे जीवन की निष्ठा बन गयी है। मैं रोटी के लिए, सत्ता के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, राज्य की प्रतिष्ठा के लिए या किसी अन्य वस्तु के लिए इसके साथ समझौता नहीं कर सकता।''

सर्व सेवा संघ गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता की विरासत को संजोने व विकसित करनेवाला संगठन है। हम संकीर्ण राष्ट्रवाद और धर्मवाद की संकल्पना को अमान्य करते हैं। राष्ट्र एवं धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा यह उन्माद न तो देश के लिए हितकारी है, न धर्म के लिए, न मानव मात्र के लिए।

हम आर्चाय विनोबा भावे की इस उक्ति को पुरजोर शब्दों में दोहराना चाहते हैं—
''हम किसी देश-विशेष के अभिमानी नहीं
किसी धर्म-विशेष के आग्रही नहीं,
किसी भी जाति-विशेष से बद्ध नहीं।
सद्विचारों को आत्मसात करना–हमारा धर्म है,
विविध विशेषताओं में सामंजस्य प्रस्थापित करना,
विश्ववृत्ति का विकास करना–हमारी वैचारिक साधाना है।''

ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सभी सजग नागरिकों से सकारात्मक पहल एवं संवाद का आह्वान करते हैं।

अशोक शरण, संयोजक,
दिल्ली प्रदेश सर्वोदय मंडल
देवेन्द्र भारती, दिल्ली लोकसमिति

ओ विज्ञानी

❑ लक्ष्मी निधि

ओ विज्ञानी!
माना कि तू पहुँच गया है,
चन्द्रलोक में,
मगर, न देखा चन्द्रदेव को,
इसीलिए, तू ढोल बजाकर,
गला फाड़कर चिल्लाता है,
चन्द्रलोक में, चन्द्रदेव का पता नहीं है।
झूठा वेद पुराण नहीं है,
कैसे कहते भगवान् नहीं है?
हिरण्यकश्यपु ने खंभा देखा,
मगर कहा, प्रह्लाद, पिताजी!
खंभा में भगवान् खड़े हैं!
फिर भी, उसने खंभा देखा,
और विहँस कर बोला, बेटा!
यह खंभा है, भगवान् नहीं है।

चर्म चक्षु से जिसने देखा—
ईंटें देखी, पत्थर देखा—
जिसने देखा भक्तिभाव से, दिव्य दृष्टि से,
उसने देखा, कण-कण में भगवान् खड़े हैं।
जितना साफ रहेगा दर्पण,
उतनी साफ रहेगी सूरत,
जब तक तिमिर रहेगा फैला,
मुक्त नहीं होगा मानव-मन,
तब तक वह कहता जायेगा,
यह पत्थर है, भगवान नहीं है।

गंगा नदी दिखायी देती इन आँखों से,
लेकिन गंगा माँ के दर्शन?
बहुत कठिन है।
प्राण बाँटता है कण-कण में
पवन देवता,
लेकिन, दर्शन पवन-देव का,
महा कठिन है।

तन की आँखें बंद करो,
फिर खोलो, अपने मन की आँखें,
फिर देखोगे, रूप अनूठे,
नये-नये संसार अनेकों,
अपनी अक्षमता के कारण,
देख नहीं सकते जिसको हम
जान नहीं पाते जिसको हम,
बोलो! क्या वह सत्य नहीं है?

❑

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए महामंत्री, शेख हुसैन द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा प्रिण्टेक, इंडियन प्रेस कॉलोनी, मलदहिया, वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार। छपी प्रतियाँ : 1450

ओ विज्ञानी

❑ लक्ष्मी निधि

ओ विज्ञानी!
माना कि तू पहुँच गया है,
चन्द्रलोक में,
मगर, न देखा चन्द्रदेव को,
इसीलिए, तू ढोल बजाकर,
गला फाड़कर चिल्लाता है,
चन्द्रलोक में, चन्द्रदेव का पता नहीं है।
झूठा वेद पुराण नहीं है,
कैसे कहते भगवान् नहीं है?
हिरण्यकश्यपु ने खंभा देखा,
मगर कहा, प्रह्लाद, पिताजी!
खंभा में भगवान् खड़े हैं!
फिर भी, उसने खंभा देखा,
और विहँस कर बोला, बेटा!
यह खंभा है, भगवान् नहीं है।

चर्म चक्षु से जिसने देखा—
ईंटें देखी, पत्थर देखा—
जिसने देखा भक्तिभाव से, दिव्य दृष्टि से,
उसने देखा, कण-कण में भगवान् खड़े हैं।
जितना साफ रहेगा दर्पण,
उतनी साफ रहेगी सूरत,
जब तक तिमिर रहेगा फैला,
मुक्त नहीं होगा मानव-मन,
तब तक वह कहता जायेगा,
यह पत्थर है, भगवान नहीं है।

गंगा नदी दिखायी देती इन आँखों से,
लेकिन गंगा माँ के दर्शन?
बहुत कठिन है।
प्राण बाँटता है कण-कण में
पवन देवता,
लेकिन, दर्शन पवन-देव का,
महा कठिन है।

तन की आँखें बंद करो,
फिर खोलो, अपने मन की आँखें,
फिर देखोगे, रूप अनूठे,
नये-नये संसार अनेकों,
अपनी अक्षमता के कारण,
देख नहीं सकते जिसको हम
जान नहीं पाते जिसको हम,
बोलो! क्या वह सत्य नहीं है?

❑

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए महामंत्री, शेख हुसैन द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा प्रिण्टेक, इंडियन प्रेस कॉलोनी, मलदहिया, वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार। छपी प्रतियाँ : 1450